वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
वित्तीय वर्ष 2021–22
(01–04–2021 से 31–03–2022 तक)

भूमिका

भारत एक कृषि प्रधान देश है। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य होने के कारण यहां के 90 प्रतिशत लोग कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए पशुपालन का अपना एक विशेष महत्व है। पूर्व में पशुपालन केवल कृषि हेतु खाद व घरेलू उपयोग हेतू दूध, ऊन, मांस व अण्डों आदि के उत्पादन तक ही सीमित था। वर्तमान समय में पशुपालन एक अलग व्यवसाय के रूप में स्थापित हुआ है। इसके अन्तर्गत डेरी फार्मिंग, भेड़ पालन, बकरी पालन,कुक्कुट पालन, खरगोश़ पालन आदि से आय प्राप्त की जा सकती है।

भारत व राज्य सरकार द्वारा पशुपालन विभाग के माध्यम से पशु नस्ल सुधार, रोगों की रोकथाम, पशुपालकों के आर्थिक सुदृढीकरण व रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं।

पशु संख्या

गत चार पशु गणनाओं के अनुसार प्रदेश में मुख्य पशु जातियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि पशुधन प्रदेश में अपना महत्व बनाये हुए है।

पशु संख्या लाख में

क्रम संख्या	पशु जाति	पशु गणना–2003	पशु गणना –2007	पशु गणना –2012	पशु गणना –2019
1	गोजातीय	21.97	22.69	21.49	18.28
2	महिश जातीय	7.73	7.62	7.16	6.47
3	भेड़ें	9.06	9.01	8.05	7.91
4	बकरियां	11.16	12.41	11.19	11.08
5	अन्य	0.54	0.44	0.55	0.39
	योग	**50.46**	**52.17**	**48.44**	**44.13**
कुत्ते		2.08	2.12	1.75	1.84
कुक्कुट		7.64	8.10	11.04	13.42

विभाग के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने तथा विभागीय किया–कलापों को पशुपालकों तक पहुंचाने हेतु कार्य–योजना तैयार की जाती है। इस कार्य– योजना को इस प्रकार संचालित किया जाता है कि प्रदेश के पशुपालक पशुपालन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं से वंचित न रहें। अतः विभाग में कार्य निष्पादन के लिए निम्न प्रकार से पद सृजित किए गए हैं।

वर्ष 2021–22 के दौरान भरे हुए व रिक्त पदों का व्यौरा निम्न सारणी में दर्शाया जा रहा हैः–

(31 मार्च, 2022 की स्थिति) संख्या

क्रम संख्या	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद	टिप्पणी
1	निदेशक	01	01	_	_
2	संयुक्त निदेशक	04	04	_	_
3	उप–निदेशक (पशु–स्वास्थ्य /प्रजनन) तथा समकक्ष पद	16	14	02	_
4	उप–निदेशक (सांख्यिकी)	01	_	01	_
5	उप–निदेशक (दुग्ध)	01	_	01	_
6	उप–निदेशक(विधि)	01	01	_	_
7	शस्यविज्ञ	01	_	01	_
8	सहायक निदेशक स्तर के पद	44	42	02	_
9	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी	67	62	05	_
10	पशु चिकित्सा अधिकारी	507	360	147	_
11	अधीक्षक ग्रेड–।	07	07	_	_
12	सहायक नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा)	01	01	_	_
13	संख्यिकीय अधिकारी	01	_	01	_
14	निजी सचिव	01	_	01	_
15	अधीक्षक ग्रेड–।।	32	32	_	_
16	अनुभाग अधिकारी (एस0ए0एस0)	02	_	02	_
17	निजि सहायक	01	01	_	_
18	कनिष्ट अभियन्ता	01	_	01	_
19	तकनीकी सहायक (सांख्यिकी)	04	01	03	2 स्थगित पद
20	वरिष्ठ सहायक	81	57	24	_
21	वरिष्ठ आशुलिपिक	04	01	03	_
22	सांख्यिकी सहायक	08	02	06	1 स्थगित पद
23	मुख्य वैटी फार्मासिस्ट	58	36	22	_
24	पशुपालन सहायक	362	308	54	_
25	वैटी फार्मासिस्ट	2353	1854	499	_
26	कनिष्ट आशुलिपिक	04	01	03	_
27	आशु टंकक	06	03	03	_
28	तकनीशियन (मकैनिकल)	07	02	05	_
29	तकनीशियन (इलैक्ट्रीकल)	07	03	04	_
30	तकनीशियन (दस्तकार)	01	_	01	_
31	संयत्र संचालक	01	_	01	_
32	संचालक सह मकैनिक	01	_	01	_
33	चालक	52	28	24	_

क्रम संख्या	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद	टिप्पणी
34	कनिष्ट सहायक / लिपिक / कनिष्ट कार्यालय सहायक	87	73	14	_
35	कनिष्ट कार्यालय सहायक(आई0टी0)	22	18	04	_
36	संगणक संचालक	06	02	04	2 स्थगित पद
37	प्रगणक	24	13	11	6 स्थगित पद
38	रेडियोग्राफर	01	_	01	_
39	प्रयोगशला तकनीशियन	01	_	01	_
40	गैसटेटनर आपरेटर	_	_	_	_
41	दफतरी	01	01	_	_
42	चपडासी	70	42	28	_
43	पशुपालन परिचारक	3021	1811	1210	_
44	चौकीदार	18	09	09	_
45	कलीनर	02	01	01	_
	योग	**6891**	**4791**	**2100**	

नोटः– 10 पशुपालन परिचारक निदेशालय में चपडासी के पद के विरुद्ध कार्यरत है तथा विधि अधिकारी को अस्थाई रूप से उप–निदेशक (विधि) के पद पर उन्नयन(upgrade) किया गया है।

योजना कार्यान्वित करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार करनी होती है। विभाग के मुख्य–मुख्य कार्य इस रूपरेखा में शामिल कर लिए जाते हैं तथा कुछ कार्य परोक्ष रूप से किए जाते हैं। जो कार्य परोक्ष होते हैं उनकी रूपरेखा पहले से तैयार नहीं की जा सकती तथा इन्हें दृष्टिविगत भी नहीं किया जा सकता। जिन विषयों की रूपरेखा तैयार की जा सकती है वे विभाग के लक्ष्य होते हैं। परोक्ष रूप से किए जाने वाले कार्यों में रोग निदान, बीमार पशु उपचार, बीमारियों का प्रकोप आदि कार्य हैं जिनके लिए लक्ष्य निर्धारित करना असम्भव है।

वर्ष 2021–22 के लिए निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धियों का व्यौरा

क्रम संख्या	विषय	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धियां
1	कृत्रिम गर्भाधान			
	क. गाय	संख्या	950000	542723
	ख. भैंस	″	340000	149488
2	वधियाकरण			
	क. नकारा बैलों में	″	65000	37121
	ख. अन्यों में	″	200000	203891
3	टीकाकरण			
	क. मुंह–खुर रोग निरोधक टीके	″	8800000	1875132
	ख .एच0एस0 / बी0क्यू0 टीके	″	1300000	446885
	ग. पी0पी0आर0 टीके	″	1900000	1423655
	घ. एन्ट्रोटॉक्सीमियां टीके	″	250000	18233
	ड. रानीखेत टीके टीके	″	10000	25250
	च. मैरेक्स टीके	″	432000	363082

क्रम संख्या	विषय	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धियां
4	कृमिनाशक दवाई पिलाना	″	3000000	2875780
5	कीटनाशक स्नान करवाना	″	3000000	3116959
6	घास की जड़ों का वितरण	″	2000000	1823703
7	चारा पौधों का रोपण	″	70000	72265
8	पशुपालकों को प्रशिक्षण	″	11000	12606
9	हिमित वीर्य तृण उत्पादन			
	गाय	″	1150000	4,80,734
	भैंस	″	350000	246530
10	तरल नत्रजन उत्पादन	लिटर	900000	748.81
11	हैचरियों में चूजों का उत्पादन	संख्या	432000	360689
12	चूजों के उत्पादन हेतु पैतृक समूह का पालन	,,	4000	3838
13	कुक्कुट पालकों को प्रशिक्षण प्रक्षेत्रों पर	,,	2000	1627
14	बैकयार्ड पोल्ट्री स्कीम के अंर्तगत चूजों का वितरण	,,	410000	588511
15	200 चूजे वितरण योजना	,,	900	913
16	दूध गंगा, भेड समृद्वि व रा0कृ0वि0 योजना के अंर्तगत जागरूकता शिविरों का आयोजन	,,	1200	949
17	दुग्ध उत्पादन	हजार टन	1654.000	1615.286
18	ऊन उत्पादन	टन	1500.000	1432.852
19	अण्डों का उत्पादन	लाख	1100.000	1016.013
20	मांस का उत्पादन	टन	4500.000	4730.966

विभाग के विभिन्न कार्य कलापों को सुचारू रूप से चलाने के लिए वर्ष 2021–22 में बजट प्रावधान व व्यय का व्यौरा आगे सारणी मे दिया गया हैः–

रुपये लाख में

1	**निर्देशन व प्रशासन**		बजट	व्यय 1.4.2021 से 31.3.2022 तक
	राज्य भाग		2288.78	2194.28
	केन्द्रीय भाग		0.000	0.00
	गैर योजना		0.000	0.00
		योग	**2288.78**	**2194.28**
2	**पशु चिकित्सा सेवाएं**			
	राज्य भाग		29523.12	27988.60
	केन्द्रीय भाग		103.30	102.29
	गैर योजना		0.00	0.00
		योग	**29626.42**	**28090.89**
3	**गाय एवं भैंस विकास**			
	राज्य भाग		2269.93	2124.05
	केन्द्रीय भाग		1.00	0.00
	गैर योजना		0.00	0.00
		योग	**2270.93**	**2124.05**

4	कुक्कुट विकास			
	राज्य भाग		795.13	798.15
	केन्द्रीय भाग		0.00	0.00
	गैर योजना		0.00	0.00
		योग	**795.13**	**798.15**
5	भेड़ व ऊन विकास			
	राज्य भाग		633.71	614.05
	केन्द्रीय भाग		0.00	0.00
	गैर योजना		0.00	0.00
		योग	**633.71**	**614.05**
6	अन्य पशु विकास कार्य			
	राज्य भाग		161.88	159.14
	केन्द्रीय भाग		0.00	0.00
	गैर योजना		0.00	0.00
		योग	**161.88**	**159.14**
7	दाना व चारा विकास			
	राज्य भाग		325.65	325.23
	केन्द्रीय भाग		0.00	0.00
	गैर योजना		0.00	0.00
		योग	**325.65**	**325.23**
8	शिक्षा व प्रशिक्षण			
	योजना		12.00	5.00
	केन्द्रीय भाग		2.00	0.00
	गैर योजना		0.00	0.00
		योग	**14.00**	**5.00**
9	प्रशासनिक अन्वेषण एवं सांख्यिकी			
	राज्य भाग		71.95	66.57
	केन्द्रीय भाग		71.03	67.65
	गैर योजना		0.00	0.00
		योग	**142.98**	**134.22**
10	कुल योग (पशुपालन)			
	राज्य भाग		36082.15	34275.07
	योजना केन्द्रीय भाग		177.33	169.94
	गैर योजना		0.00	0.00
		योग	**36259.48**	**34445.01**
11	विशेष केन्द्रीय सहायता टी0एस0पी0			
	राज्य भाग		66.25	65.25
	केन्द्रीय भाग		1.50	0.00
	गैर योजना		0.00	0.00
		योग	**67.75**	**65.25**
12	विशेष केन्द्रीय सहायता एस0सी0एस0पी0			

	राज्य भाग		0.00	0.00
	केन्द्रीय भाग		76.94	99.33
	गैर योजना		0.00	0.00
		योग	**76.94**	**99.33**
13	**हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड को अनुदान एस0सी0एस0पी0**			
	राज्य भाग		754.31	754.30
	केन्द्रीय भाग		0.00	0.00
	गैर योजना		0.00	0.00
		योग	**754.31**	**754.30**
14	**हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड को अनुदान टी0एस0पी0**			
	राज्य भाग		270.00	269.75
	केन्द्रीय भाग		0.50	0.00
	गैर योजना		0.00	0.00
		योग	**270.50**	**269.75**
15	**दुग्ध विकास**			
	राज्य भाग		2043.87	2042.02
	केन्द्रीय भाग		0.00	0.00
	गैर योजना		0.00	0.00
		योग	**2043.87**	**2042.02**
16	**पूंजीगत प्रावधान**			
	राज्य योजना		1509.39	1507.37
	केन्द्रीय भाग		451.50	446.51
	गैर योजना		0.00	0.00
		योग	**1960.89**	**1953.88**
17	**हि0प्र0 कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान (मांग संख्या–31)**			
	राज्य भाग		67.70	67.70
	केन्द्रीय भाग		0.00	0.00
	गैर योजना		0.00	0.00
		योग	**67.70**	**67.70**
18	**आवास**			
	राज्य भाग		78.75	78.75
	केन्द्रीय भाग		0.00	0.00
	गैर योजना		0.00	0.00
		योग	**78.75**	**78.75**
19	**लोक निर्माण**			
	राज्य भाग		10.88	10.88
	केन्द्रीय भाग		0.00	0.00
	गैर योजना		0.00	0.00
		योग	**10.88**	**10.88**
20	**राष्ट्रीय कृषि विकास योजना**			
	राज्य भाग		49.33	30.00

	केन्द्रीय भाग		441.00	270.00
	गैर योजना		0.00	0.00
		योग	**490.33**	**300.00**
21	**राष्ट्रीय पशुधन मिशन**			
	राज्य भाग		95.06	94.05
	केन्द्रीय भाग		1722.06	1722.06
	गैर योजना		0.00	0.00
		योग	**1817.12**	**1816.11**
22	**पशु मंडी का व्यवस्थापन**			
	राज्य भाग		0.00	0.00
	केन्द्रीय भाग		0.00	0.00
	गैर योजना		0.00	0.00
		योग	**0.00**	**0.00**
23	**उत्तम पशु पुरूस्कार योजना**			
	राज्य भाग		50.00	50.00
	केन्द्रीय भाग		0.00	0.00
	गैर योजना		0.00	0.00
		योग	**50.00**	**50.00**
	कुल योग			
	राज्य भाग		41077.69	39245.14
	केन्द्रीय भाग		2870.83	2707.84
	गैर योजना		0.00	0.00
	योग		**43948.52**	**41925.98**

पशु संस्थान

हिमाचल प्रदेश में सन् 1948 में केवल 9 पशु चिकित्सालय थे जो पशुपालन सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध करवाते थे। इसके पश्चात् पशुपालन की ओर विशेष ध्यान दिया गया तथा नये–नये पशु संस्थान स्थापित किए गए जो पशुपालन सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। 31.03.2022 को प्रदेश में निम्न पशु संस्थान कार्यरत थे:–

क्रम संख्या	संस्थान का व्यौरा	प्रदेश में कुल संख्या
1	राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय	1
2	आंचलिक पशु चिकित्सालय	3
3	वैटनरी पॉलीक्लीनिक	10
4	उप मण्डलीय पशु चिकित्सालय	60
5	पशु चिकित्सालय	362
6	केन्द्रीय पशु औषधालय	30
7	पशु औषधालय	1762
8	पशु निरीक्षण चौकियां	6
9	पशु प्रजनन प्रक्षेत्र	02
10	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र (एक रैम सैटर सहित)	05
11	भेड़ व ऊन विस्तार केन्द्र	09

12	कुक्कुट हैचरियां	03
13	कुक्कुट प्रक्षेत्र/प्रसार केन्द्र	11
14	ऊन विश्लेषण प्रयोगशालाएं	03
15	प्रशिक्षण केन्द्र	02
16	रोग अन्वेषण प्रयोगशालाएं	02
17	स्पर्म स्टेशन	02
18	हिमकृत वीर्य कोष	07
19	रोगव्यापिकी प्रयोगशाला	01
20	गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला	01
21	अंगोरा खरगोश प्रक्षेत्र	02
22	घोड़ा एवं याक प्रजनन प्रक्षेत्र	01
23	गोसदन	1
24	समुच्चय भंडार	11
	कुल योग (प्रदेश)	2297
मुख्यमन्त्री आरोग्य पशुधन योजना के अन्तर्गत कार्यरत संस्थान		1234

कार्य प्रणाली

वर्तमान पंचवर्षीय योजना में पशुपालन विभाग के सफलता अभियान के अन्तर्गत कार्यों को निम्न प्रकार से बांटा गया हैः–

1. **पशु चिकित्सा सेवाएं**
2. **पशु विकास**
3. **भेड़ व ऊन विकास**
4. **दाना व चारा विकास**
5. **कुक्कुट विकास**
6. **दुग्ध विकास**
7. **घोड़ा प्रजनन**
8. **याक प्रजनन**
9. **अंगोरा खरगोश प्रजनन**
10. **केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं**
11. **विस्तार सेवाएं**
12. **परिवीक्षण एवं मूल्यांकन**

1. पशु चिकित्सा सेवाएं

पशुपालन विभाग द्वारा पशु स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रदेश के सभी ज़िलों में पशु चिकित्सा संस्थानों का जाल सा बिछा दिया गया है। रूग्ण पशुओं का समय–समय पर उपचार किया जाता है। संक्रामक रोगों के फैलने की दशा में शीघ्र कार्यवाही करके सभी पशुओं को टीके लगाकर उनका बचाव किया जाता है। प्रदेश में पशु चिकित्सा संस्थानों जैसे पशु चिकित्सालयों/औषधालयों एवं पालीक्लीनिकों आदि का 31.3.2022 तक जिलावार व्यौरा निम्नलिखित हैः–

संख्या

क्रम संख्या	ज़िला का नाम	राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय / आंचलिक पशु चिकित्सालय	वैटरीनरी पालीक्लीनिक	उप–मण्डलीय पशु चिकित्सालय	पशु चिकित्सालय	केन्द्रीय पशु औषधालय	पशु औषधालय	योग
1	बिलासपुर	–	1	2	19	3	99	124
2	चम्बा	–	1	7	31	1	170	210
3	हमीरपुर	–	–	5	16	1	116	138
4	कांगड़ा	1	2	10	72	8	330	423
5	किन्नौर	–	–	3	18	1	38	60
6	कुल्लू	–	1	4	16	1	94	116
7	लाहौल–स्पिति	–	–	3	13	–	41	57
8	मण्डी	1	1	8	55	3	256	324
9	शिमला	1	1	6	52	6	264	330
10	सिरमौर	–	1	5	27	4	124	161
11	सोलन	–	1	4	21	1	128	155
12	ऊना	1	1	3	22	1	102	130
योग		**4**	**10**	**60**	**362**	**30**	**1762**	**2228**

उपरोक्त संस्थानों के साथ–साथ विभाग की 6 पशु–चिकित्सा जांच चौकियां भी प्रदेश में कार्य कर रही हैं।

इसके अतिरिक्त 31.3.2022 तक प्रदेश में विभाग के **मुख्यमन्त्री आरोग्य पशुधन योजना** के अंर्तगत 1234 पशु औषधालय भी कार्यरत थे। इन संस्थानों का जिलावार ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

क्रम संख्या	ज़िला का नाम	पशु औषधालय
1	बिलासपुर	43
2	चम्बा	94
3	हमीरपुर	99

4	कांगड़ा	359
5	किन्नौर	8
6	कुल्लू	99
7	लाहौल–स्पिति	3
8	मण्डी	175
9	शिमला	97
10	सिरमौर	78
11	सोलन	67
12	ऊना	112
योग		1234

क. पशु चिकित्सा कार्य

प्रदेश में सभी पशु चिकित्सा संस्थानों द्वारा वर्ष 2021–22 के दौरान किए गए पशु चिकित्सा सम्बन्धी कार्यों का व्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

संख्या

क्रम संख्या	मद्द	वर्ष 2021–22 में प्रगति
क. संस्थानों पर कार्य		
1.	संक्रामक रोग	41
2.	असंक्रामक रोग	2163372
3.	वधियाकरण	63631
4.	कृमिनाशक दवाई पिलाना	105815
5.	कीटनाशक स्नान करवाना	290359
6.	सींगरहित	26158
7.	टीकाकरण	30340
ख. भ्रमण पर कार्य		
1.	संक्रामक रोग	1189
2.	असंक्रामक रोग	421863
3.	वधियाकरण	168623
4.	कृमिनाशक दवाई पिलाना	2759919
5.	कीटनाशक स्नान करवाना	2849719
6.	सींगरहित	31317
7.	टीकाकरण	3698710

ख. संक्रामक रोगों की रोकथाम

संक्रामक रोगों के फैलने की सूचना प्राप्त होने पर पशुओं के उपचार हेतु शीघ्र ही पग उठाए जाते हैं। विभागीय कर्मचारी संक्रामक रोगों के फैलने के स्थानों पर जा कर रोगी पशुओं का उपचार करते हैं तथा घातक रोगों से बचाव हेतु सभी स्वस्थ पशुओं को रोगनिरोधक टीके आदि लगाते हैं। इस मद्द में वर्ष 2021–22 में 19 स्थानों से संक्रामक रोग फैलने की सूचना प्राप्त हुई तथा सभी क्षेत्रों में जाकर विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पशुओं का उपचार तथा टीकाकरण किया गया ।

ग. रोग अनुसंधान प्रयोगशालाएं

संक्रामक/असंक्रामक रोगों के उपचार हेतु विभाग में दो रोग अनुसंधान प्रयोगशालाएं कार्यरत है। ये प्रयोगशालायें प्रदेश में पशु रोगों के निदान का कार्य आधुनिकतम तकनीकों द्वारा कर रही हैं।

घ. आंचलिक पशु चिकित्सालय व वैटरीनरी पालीक्लीनिक

प्रदेश में 3 क्षेत्रीय पशु चिकित्सालय व 10 वैटरीनरी पालीक्लीनिक स्थापित किये गये हैं। इन संस्थानों द्वारा पशु रोगों के निदान तथा उपचार सम्बन्धी वे सभी सुविधाएं जो चिकित्सालय/औषधालय स्तर पर उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, पशु चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा प्रदान की जाती हैं। इन संस्थानों द्वारा वर्ष 2021–22 में निम्न प्रगति की गईः–

क्रम संख्या	मद्द	आंचलिक पशु चिकित्सालय में उपचार	आंचलिक पशु चिकित्सालय द्वारा शिविरों में उपचार	पॉलीक्लीनिक में उपचार	पॉलीक्लीनिक द्वारा शिविरों में उपचार
1	गाईनी केस का उपचार	368	25	4787	657
2	सर्जिकल केस का उपचार	1306	43	6284	564
3	मैडिसिनल केस का उपचार	6437	77	42956	5177
4	नमूने एकत्र करके परीक्षण किया	2133	.	40493	391
5	पशु चिकित्सा शिविर लगाए	19		145	

2. पशु विकास

प्रदेश में पहाड़ी प्रजाति की गायों को जर्सी, होलस्टेन, साहीवाल व रैडसिन्धी नस्ल से क्रासब्रीडिंग करवा कर विकसित किया जा रहा है। आधुनिक तकनीक द्वारा हिमिकृत वीर्य के तृण उत्पादित करके गाय तथा भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली को अपनाया जा रहा है। दुर्गम क्षेत्रों में जहां कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध करवाना अभी सम्भव नहीं है, वहां प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

क. कृत्रिम गर्भाधान

प्रदेश में क्रासब्रीडिंग कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए इस समय ISO certified 2 उच्च स्तरीय स्पर्म स्टेशन पालमपुर (कांगडा) व अडुवाल (सोलन), 7 वीर्य कोष तथा 5 तरल नत्रजन संयत्र कार्यरत हैं। इन प्रयोगशालाओं में उत्तम नस्ल के सांडों के वीर्य से वीर्य तृणों का उत्पादन किया जाता है। इन तृणों

का तरल नत्रजन में भण्डारण किया जाता है जिनसे बाद में कृत्रिम गर्भाधान सम्भव होता है। वर्ष 2021–22 में गाय के 4,80,734 तथा भैंसों के 2,46,530 वीर्य तृणों का उत्पादन किया गया। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर उत्तम नस्ल के सांडों के वीर्य तृण बाहरी स्त्रोतों से भी प्राप्त किये जाते हैं। प्रदेश में वर्ष 2021–22 में 3247 पशु संस्थानों में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इनमें 1054 मुख्यमन्त्री आरोग्य पशुधन योजना के अंर्तगत खोले गए पशु संस्थान, जिनमें यह सुविधा उपलब्ध है, भी सम्मिलित हैं। भविष्य में इसे और अधिक संस्थानों में उपलब्ध करवाया जायेगा।

तरल नत्रजन का उत्पादन वीर्य तृणों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है ताकि कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों तक तृण सुरक्षित पहुंचाए जा सकें तथा संस्थानों में इनका भण्डारण किया जा सके। वर्ष 2021–22 में केवल 5 तरल नत्रजन प्लांट कार्यरत थे जिनके द्वारा 748.81 लीटर तरल नत्रजन उत्पादन किया गया।

विभाग द्वारा वर्ष 2021–22 में कुल 5,42,723 गायों में कृत्रिम गर्भाधान किया जिसके फलस्वरूप 1,29,312 नर व 1,15,257 मादा संतति उत्पन्न हुई। इसी के साथ 1,49,488 भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान किया गया जिससे 34,566 नर व 31,584 मादा संतति उत्पन्न हुई।

ख. पशु प्रजनन प्रक्षेत्र

प्रदेश में 2 पशु प्रजनन प्रक्षेत्र (पालमपुर व बागथन) कार्य कर रहे हैं। इन प्रक्षेत्रों का मुख्य कार्य उन्नत नस्ल के बछड़े–बछड़ियां पैदा करना है। बछड़ों का भलि–भांति पालन–पोषण करके उन्हें वीर्य विधायन प्रयोगशालाओं में स्थानान्तरित कर दिया जाता है ताकि इनको प्रजनन हेतु प्रयोग में लाया जा सके तथा जिससे पहाड़ी प्रजाति की गायों की नस्ल सुधारी जा सके। इन प्रक्षेत्रों की वर्ष 2021–22 में उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं:–

क्रम संख्या	मद्द	उपलब्धी
1	वर्ष के दौरान औसतन पशु पाले	115
2	संतति उत्पन्न	12
3	पशु विक्रय/वितरित	40
4	पशु नीलाम किए	1
5	दुग्ध उत्पादन (लीटर)	41899.65
6	दुग्ध वितरण (लीटर)	34807.15
7	दुग्ध बछड़ों–बछड़ियों को पिलाया (लीटर)	7083.5
8	टीकाकरण	377
9	कृमिनाशक दवाई पिलाई	519
10	कीटनाशक स्नान कराया	1073

ग. गौसेवा आयोगः–

वर्ष 2019 में प्रदेश में गौवंश कल्याण और बेसहारा गौवंश को आश्रय दिलाने के लिए हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग का गठन किया गया।

1. वर्तमान में प्रदेश में 205 गौ सदनो तथा 13 गौअभ्यारण्यो/ बड़े गौ सदन चल रहे है , जिनमें से आयोग द्वारा 135 गौसदनो को पंजीकृत किया गया है तथा 9 गौ अभ्यारण्य/बड़े गौसदनो का निर्माण शीध्र पूर्ण होने वाला है।
2. वर्ष 2015–16 से वर्ष 2022–23 तक हिमाचल प्रदेश गौवंश संवर्धन बोर्ड/ गौसेवा आयोग को कुल प्राप्तियां मु0 77,84,83,289–85/– रूपये हुई है तथा कुल व्यय मु0 66,21,44,634–00 रूपये हुआ है ।
3. आयोग द्वारा अभी तक अनुदान से प्राप्त राशि में से गौ अभ्यारण्य/ बड़े गौसदनों के <u>निर्माण/विस्तारीकरण</u> हेतु मु0 38,87,98,967/–रूपये की राशि व्यय की गई।
4. आयोग के लिए वित्तिय संसाधन जुटा ने हेतु सरकार ने मंदिर न्यासों की 15 प्रतिशत आय व शराब पर एक रूपया पचास पैसे गौवंश सैस प्रति बोतल लगाया है जिससे अभी तक मन्दिर न्यासों से मु0 1,03,73,708/– रूपये की राशि व शराब पर गौवंश सैस से मु0 24,66,29,826/– रूपये आयोग के खाते में प्राप्त हुए है।
5. वर्तमान में 18955 बेसहारा गौवंश को गौ सदनों/गौ अभ्यारण्यो में आश्रय प्रदान किया जा रहा है जिसमें से वर्तमान में 16725 बेसहारा गौवंश को मु0 700/–प्रति गौवंश प्रति माह राशि दी जा रहीहै। इस योजना के अर्न्तगत सितम्बर, 2022 तक मु0 20,97,28,384/– रूपये की राशि जारी की गई है।
6. पिछले साढे चार वर्षो में गौ अभ्यारण्यों तथा गौसदनों की स्थापना व सदृढ़िकरण के लिए मु0 38,87,98,967/–की राशि आयोग द्वारा वितरित की गई।
7. इस वित्तीय वर्ष की नई योजना के कार्यन्वयन हेतु आयोग द्वारा जिला ऊना के बीटन,जिला कुल्लू के बाहंग, जिला मण्ड़ी के टकोली, कुडलड़भडोल व कोट में गौ अभ्यारण्यो/बड़े गौ सदनो का निर्माण किया जा रहा है जिन के निर्माण हेतु मु0 6,47,03,200 रूपये की राशि जारी कर दी गई है।
8. हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग ने चारे की कमी से जूझ रहे गौ सदनो को सस्ती दरो पर चारा उपलब्ध करवाने के उद्वेश्य से चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्व विधालय पालमपुर जिला कांगड़ा में एक साईलेज ईकाई की स्थापना करवाई है ,जिसका लाभ समस्त गौसदन संचालक उक्त कार्यालय से उठा सकते है बारे समस्त उप–निदेशको को निर्देश जारी कर दिए गए है।

घ. उत्तम पशु पुरस्कार योजना – पशुपालक जिसके दुधारू पशु (गाय/भैंस) का दूध उत्पादन 15 लीटर प्रतिदिन या उससे अधिक हो तो उसे रू 1000/प्रति दुधारू पशु(अधिकतम 2 दुधारू पशु प्रति लाभार्थी) की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

ड.–गर्भित गाय/भैंस के लिये अनुसुचित जाति वर्ग व गरीबी रेखा से नीचे सामान्य वर्ग के परिवारों के लिये पशुआहार योजनाः–अनुसुचित जाति वर्ग व गरीबी रेखा से नीचे सामान्य वर्ग के पशुपालकों को गर्भित पशुओं के लिए गर्भकाल के अंतिम त्रैमास में प्रतिदिन तीन किलों ग्राम पशु आहार (अधिकतम/दुधारू पशु प्रति लाभार्थी) 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाया जाता है।

3.भेड़ व ऊन विकास

प्रदेश में भेड़ों की संख्या 7.91 लाख है, जोकि कुल पशु संख्या में से गोजातीय पशुओं की संख्या के बाद तीसरे स्थान पर आती हैं। प्रदेश में विभाग के तीन भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, ताल (हमीरपुर), ज्योरी (शिमला) काकस्थ्ल (किन्नौर) तथा एक रैम सैन्टर नगवांई (मण्डी) में स्थापित है। जिनका उद्देश्य उन्नत किस्म के मैंढ़ें उत्पन्न करके भेड़ पालकों को भेड़ों में प्रजनन हेतु देसी भेड़ों की नस्ल सुधार के लिए प्रदान करना है ताकि उन्नत भेड़ों में मांस व ऊन की अधिक वृद्धि हो सकें। रैम सेन्टर नगवाई (मण्डी) में पाले जा रहे ऑस्ट्रेलियन मैरिनों भेड़ों/मैढ़ों की संख्या वृद्धि होने के पश्चात् प्रदेश भर के उपयुक्त विभागीय संस्थानों द्वारा देसी नस्ल/क्रॉस–ब्रीड भेड़ों की नस्ल सुधार का कार्यक्रम शीघ्र शुरू किया जाएगा।

इसके अतिरिकत हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी ऊन एकत्रीकरण एंव विपणन संघ समिति, कसुम्पट्टी, शिमला–9 के सौजन्य से प्रदेश में 9 भेड़ व ऊन विस्तार केन्द्र भी खोले गए हैं, जिनके द्वारा भेड़ों से ऊन उतारने का कार्य भी किया जाता है। पारगमन शिविरों द्वारा भेड़ों को अन्दरूनी एंव बाह्य

भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों में वर्ष 2021–22 के दौरान किए गए कार्यो का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैंः–

क्रम संख्या	मदद	उपलब्धी
1	वर्ष के दौरान औसतन भेड़ें पाली	1381
2	संतति उत्पन्न	573
3	भेड़े विक्रय/वितरित	246
4	भेड़े नीलाम की	160
5	ऊन उत्पादन (किवंटल)	21.64
6	कृमिनाशक दवाई पिलाई	7793
7	कीटनाशक स्नान कराया	1142
8	टीकाकरण	3676

हिमाचल प्रदेश में भेड़ पालन एक मुख्य व्यवसाय है तथा यहां की रामपुरी बुशहरी और गद्दी नस्लें देश भर में प्रसिद्ध हैं। प्रदेश में 37 प्रतिशत कृषक परिवार भेड़ पालन से जुडे हैं तथा ऐसे कृषकों /भेड़–बकरी पालकों के लिए विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित हैः–

क. मैंढा वितरण योजनाः–के तहत हिमाचल प्रदेश के समस्त जाति वर्ग के भेड पालक जिनके पास कम से कम 25 भेडों का समूह है उक्त योजना के लिए पात्र हैं। इस योजना के अंर्तगत लाभार्थी के पास 25 भेडों का समूह होने पर 1 मेंढ़ा प्रदान किया जाता है। इस योजना के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2017–18 , 2018–19 2019–20, 2020–21 2021–22 व 2022–23 के दौरान 2678 मैंढे लाभार्थियों को 60 प्रतिशत अनुदान पर प्रदान किए गए, जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

वर्ष 2017–18	829 (implemented in year 2018-19)
वर्ष 2018–19	978(implemented in year 2019-20)
वर्ष 2019–20	210(implemented in year 2020-21)
वर्ष 2020–21	521(implemented in year 2021-22)
वर्ष 2021–22	82(implement in year 2022-23)
वर्ष 2022–23	58(implement in year 2023-24)
कुल	2678

ख. कृषक बकरी पालन योजना/ भेड व बकरी **योजनाः–**

इन योजनाओं के अर्न्तगत सभी श्रेणी के पशुपालकों की आय में वृद्धि के लिए बीटल/सिरोही/जमनापरी/सफेद हिमालयन नस्ल की 11 बकरी इकाई (10 मादा+1 नर), 5 बकरी ईकाई (4 मादा+ 1 नर) व 3 बकरी ईकाई व (2मादा+ 1 नर) 60 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। इस योजना के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2017–18 , 2018–19 2019–20, 2020–21 2021–22 व 2022–23 के दौरान बकरी व बकरे लाभार्थियों को 60 प्रतिशत अनुदान पर प्रदान किए गए, जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

वर्ष 2017–18	5771(implemented in year 2018-19)
वर्ष 2018–19	5143(implemented in year 2019-20)
वर्ष 2019–20	951(implemented in year 2020-21)
वर्ष 2020–21	698(implemented in year 2021-22)
वर्ष 2021–22	418(implement in year 2022-23)
वर्ष 2022–23	10(implement in year 2023-24)
कुल	12991

4. दाना व चारा विकास

पशुओं से अधिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए पशु नस्ल सुधार के साथ–साथ चारे का भी महत्वपूर्ण स्थान है। पशुपालकों को विभाग द्वारा उन्नत किस्म के चारा घास की जड़ें व चारा पौधे वितरित किए जाते हैं। इस प्रकार कृषि योग्य भूमि में पौष्टिक तत्वों से युक्त घास तथा चारा फसलों का विकास करने हेतु कृषकों को प्रेरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त घासनियों तथा चरागाहों का भी सुधार किया जाता है। वर्ष 2021–22 में विभाग द्वारा प्रदेश भर में 1306074 चारा घास की जड़ों तथा 207725 चारा पौधों का किसानों को वितरण किया गया।

5. कुक्कुट विकास

पशुपालन विभाग के अन्तर्गत कुक्कुट विकास कार्य भी किया जाता है। यह कार्य विभाग के कुक्कुट प्रक्षेत्रों/केन्द्रों द्वारा किया जाता है। प्रदेश में वर्तमान में 3 हैचरियां व 11 कुक्कुट प्रसार केन्द्रों/प्रक्षेत्रों के माध्यम से वर्ष 2021–22 के दौरान निम्न प्रगति की गई हैः–

क्रम संख्या	मदद	उपलब्धी
1	अण्डे देने वाली मुर्गियों की संख्या	4699
2	अण्डों का उत्पादन/प्राप्ति	5,54,510
3	चूजों का उत्पादन	3,60,689
4	कुक्कुट प्रजनन हेतू बेचे LIT चूजे (Hatchery+ Private vendor)	5,88,511
5	कुक्कुट प्रक्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया	1627
6	टीकाकरण रानीखेत	25250
7	टीकाकरण मैरेक्स	3,63,082
8	ब्रायलर चूजा वितरण	3,22,700

वर्ष 2021–22 में 5,88,511 LIT चूजें 10,471 किसानों को वितरित किये गये। इसके अतिरिक्त विभाग ने 12,098 किसानों को कुक्कुट पालन में प्रशिक्षण भी उपलब्ध करवाया ताकि इस व्यवसाय को अपनाकर वे आर्थिक रूप से स्वाबलम्बी बन सकें।

विभाग द्वारा बढ़ती आबादी की प्रोटीन आवश्यकताओं की पूर्ति करने, पशु आधारित भोजन की बढ़ती मांग की आपूर्ति करने, स्वरोजगार का साधन उपलब्ध करवाने तथा कृषकों की आय दुगुनी करने के उद्देश्य हेतू विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुक्कुट पालकों को लाभान्वित किया जा रहा हैः–

क. आंगनबाडी कुक्कुट विकास योजनाः–प्रदेश में कुक्कुट विकास को गति देने के लिए आंगनबाडी कुक्कुट विकास योजना चलाई जा रही है। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/सामान्य वर्ग के कुक्कुट पालकों को तीन सप्ताह तक की आयु के 50–100/यूनिट कम लागत पर पलने वाले चूजे (LIT चूजों) सरकार द्वारा अुनमोदित दरों पर प्रदान किए जाते है। ये चूजें किसानों को चूजों की आयु के आधार पर निम्न दरों पर प्रदान किए जाते हैः–

एक दिन की आयु का चूजा	Rs.29/-
2 दिन से 1 सप्ताह की आयु	Rs.32/-
1-2 सप्ताह की आयु	Rs.36/-
2-3 सप्ताह की आयु	Rs.38/-
3-4 सप्ताह की आयु	Rs.48/-
4-5 सप्ताह की आयु	Rs.58/-

नोटः– 90234 अण्डों का उत्पादन राजकीय प्रक्षेत्रों में आहार के उदेश्य हेतू व 464276 अण्डों का उत्पादन/ प्राप्ति राजकीय हैचरियों में चुजा उत्पादन हेतू किया गया है।

ख. 200 चूजे वितरण योजनाः– ग्रामीण तथा गरीब आबादी की प्रोटीन आवश्यकताओं की पूर्ति, स्वरोजगार के साधन उपलब्ध करवाने,किसानो की आय में बढोतरी तथा उच्च गुणवता की खाद उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति वर्ग से सम्बन्धित बी.पी.एल. परिवारों के कुक्कुट पालकों को अधिकतम 10,000/-प्रति लाभार्थी की सहायता 200 एक दिवसीय LIT चूजें, आरम्भिक आहार, फीडर व ड्रींकर के रूप में प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त लाभार्थियों को कुक्कुट पालन से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान किए जाने का भी प्रावधान है।

ग. हिम कुक्कुट पालन योजनाः– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य वर्ग के कृषक जिन्होने राज्यकीय कुक्कुट प्रक्षेत्रो के प्रशिक्षण लिया हो को लाभ प्रदान किया जाता है।पूजींगत निवेश, फीडर व ड्रींकर ,चूजों तथा आहार की कीमत आदि के लिए राशि उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजना के अन्तर्गत एक दिन की आयु के 3000 व्यवसायिक ब्रायलर चूजें 1000 चूजें प्रति किश्त (अधिकतम 3 किश्तें) प्रदान किए जाते है। पूजींगत निवेश, फीडर व ड्रींकर, चूजें , आहार आदि के लिए 60 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।

6. दुग्ध विकास

पशुपालन विभाग दुग्ध प्रसंघ हि0प्र0 को प्रतिवर्ष अनुदान राशि उपलब्ध करवाता है। प्रदेश में दुग्ध विकास सम्बन्धी कार्यक्रम,दुग्ध एकत्रीकरण, विधायन एवं वितरण कार्य का कार्यान्वयन हिमाचल दुग्ध प्रसंघ द्वारा सहकारी क्षेत्र में आनंद पद्धति पर किया जा रहा है। दुग्ध प्रसंघ द्वारा दुग्ध उत्पादकों से दूध दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदा जा रहा है।

7. घोड़ा प्रजनन

चामूर्ति (स्पिति) नस्ल के घोड़ों की प्रजाति के संरक्षण हेतू विभाग द्वारा लाहौल–स्पिति जिला में लरी नामक स्थान पर एक घोड़ा प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित है। इस प्रक्षेत्र में वर्ष 2021–22 में 71 घोड़े/घोड़ियां पोषित की जा रही थीं।

8. याक प्रजनन

वर्ष 2008 में केन्द्र सरकार की सहायता से घोड़ा प्रजनन प्रक्षेत्र लरी जिला लाहौल–स्पिति में ही याक प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित किया गया है। इस प्रक्षेत्र में वर्ष 2021–22 के दौरान 63 याक पाले जा रहे थे।

9. अंगोरा खरगोश पालन

प्रदेश की जलवायु अंगोरा खरगोश पालन हेतु उत्तम पाई गई है। इसके लिए विभाग ने दो अंगोरा खरगोश प्रजनन प्रक्षेत्र कण्डवाड़ी जिला कांगड़ा तथा नगवाईं जिला मण्डी में खोले हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान इन प्रक्षेत्रों में औसतन 14 खरगोश पाले गए।

10. केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं निम्नलिखित है।

(क) राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अर्न्तगत योजनाएंः–

1 हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एएचवाई–एफ(1)–2/2018 दिनांक 4 जुलाई 2018 द्वारा प्रजनन नीति को पुनः अधिसूचित किया गया है । जिसमें देशी नस्ल की रेढ सिंधी, साहीवाल,गिर थारपाकर को शामिल किया गया ।

2 राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अन्तगर्त साहिलवाल व रेडसिंधी नस्ल की गायों के संरक्षण व प्रसार हेतु भ्रूण प्रत्रोपण तकनिक ।

(Embryo Transfer Technology) का प्रारम्भ करना :– केन्द्र सरकार द्धारा भ्रुण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला पालमपुर मे रेड सिन्धी तथा साहिवाल नस्ल में भ्रुण प्रत्यारोपण तकनीक पर कार्य आरम्भ करने के लिए 195.00लाख रुपये स्वीकृत किये गये है। जिसके अन्तगर्त साहीवाल नस्ल की 5 गाय 3 बछडीयां तथा हारमोनस खरीद लिए गये है और प्रयोगशाला के निर्माण कार्य एव उपकरण के क्रय तथा प्रशिक्षण पर राशि मु0 164.7 लाख रुपये की राशि का उपयोग कर ली गई है तथा इस परियोजना के अन्तगर्त तीन पशु चिकित्सा अधिकारीयों को भ्रुण प्रत्यारोपण का प्रशिक्षण दिलवाया जा चुका है । उतराखण्ड पशुधन विकास बोर्ड से 4 रेड सिन्धी गायों को क्रय किया गया है ।

3 राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अर्न्तगत प्रदेश में मुर्रा नस्ल के प्रोत्साहन हेतु मुर्रा प्रजनन फार्म की स्थापनाः– प्रदेश के जिला ऊना मे राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अर्न्तगत मुर्रा भैसो के प्रजनन फार्म की स्थापना हेतु भारत सरकार से राशि मु0 506.45 लाख स्वीकृत हुए है तथा इस कार्य हेतु 506.45 करोड रूपऐ की राशि प्राप्त हो चूकी हैं। इस कार्य हेतु मुर्रा नस्ल की उच्च गुणवता की 30 भैसे तथा 20 कटडीया खरीदी जाएगी। फार्म द्धारा पैदा की गई अतिरिक्त कटडीयों को प्रदेश के पशुपालको को उपलब्ध करवाया जाएगा तथा नर भैंसों को प्रदेश तथा प्रदेश से बाहर वीर्य केन्द्रों को वीर्य उत्पादन हेतु उपलब्ध करवाया जाऐगा। इस मुर्रा फार्म के निर्माण हेतु पूर्ण राशि अग्रिम के रुप में उप निदेशक पुश स्वास्थ्य/प्रजनन जिला ऊना को प्रदान की जा चुकी है।

4 राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अर्न्तगत भारत सरकार से प्रदेश मे गोकुल ग्राम की स्थापना हेतू राशि मु0 778.64 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। जिला ऊना में गोकुल ग्राम की स्थापना हेतू पूर्ण राशि मु0 778.64 लाख रुपये उप निदेशक पशु स्वास्थ्य प्रजनन को प्रदान किये किये जा चुके है व इस मामले मे कार्यकारी ऐजेंसी से अनुबन्ध हस्ताक्षर कर लिया गया है व इस मामले मे आगामी कार्यवाही की जा रही है।

5 पहाडी गायों के संरक्षण एवं सम्वर्धन हेतु विभाग द्वारा उठाए गए कदम

पशुपालन विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रदेश की पहाडी गाय को मान्यता प्राप्त नस्लों की श्रेणी में शामिल करवाने हेतू इस नस्ल की विशेषताओं को संकलित करेक नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सिज के समक्ष रखा गया था तथा समय – समय पर उपरोक्त संस्थान द्वारा मांगे गए विवरणों को उपलब्ध करवाकर अब 2 वर्षो के प्रयास के पश्चात् हिमाचल की पहाडी गाय को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल गई है। प्रदेश की इस नस्ल को नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सिज ने देश की मान्यता प्राप्त नस्लों की सूचि में शामिल कर लिया है। उपरोक्त ब्यूरो द्वारा हिमाचल पहाडी गाय का पंजीकरण हिमाचली पहाडी नाम से एक अधिकारिक नस्ल के रुप में किया है जिससे कि अब यह नस्ल देसी नस्ल की अन्यो गायों जैसे साहिवाल, रैड सिन्धी, गिर जैसी नस्लों की श्रेणी में शामिल हो चुकी है।

वर्तमान में हिमाचल में पहाडी व देसी नस्ल की गाय की संख्या 7.50 से 8.00 लाख आंकी गई है। इस नस्ल के पंजीकरण होने से अब इस गाय के उत्थान हेतु कार्यो के लिए भारत सरकार से धन राशि प्राप्त हो सकेगी। जिससे कि इन नस्ल के संरक्षण व संवर्धन के कार्य में तेजी आएगी। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार से होंगेः–

- पहाडी गाय **"हिमाचली पहाडी"** का संरक्षण एवं संवर्धन।
- पहाडी गाय के नस्ल सुधार हेतु आवश्यक पग उठाना।
- उच्चतम गुणवत्ता वाले हिमाचली पहाडी सांडों को चयनित करने उपरान्त वीर्य विधायन
- केन्द्रों में प्रजनन हेतु वितरित करना।
- पशुपालकों को इस नस्ल की विशेषताओं से अवगत करवाने हेतु प्ररिक्षण कार्यक्रम चलाना व क्षमता निमाण इत्यादि।

भारत सरकार द्वारा प्रदेश की पहाडी गाय के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु इस परियोजना हेतु धन राशि मु0 464.00 लाख स्वीकृत किऐ जा चुके है। यह प्रस्तावित राशि मु0 464.00 लाख रुपऐ भारत सरकार द्वारा दिंनाक 19.03.2021 को विभाग को जारी कर दी गई है।

6. जर्सी सतंति प्रशिक्षण परियोजना (Jersey Progeny Testing Project in District Kangra.) भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिषन के अन्तगर्त इस योजना में राशि मु0 822. 71 लाख अनुमोदित किये है इस योजना को भरत सरकार से NDDB के माध्यम से राशि मु0 120.00 लाख प्रदान किये गये हैं । इस योजना का जिला कांगडा मे कार्यन्वित किया जा रहा है। इस पयिोजना के तहत दुग्ध उत्पादन मे बढोतरी होगी । जिससे किसानो एंव गावों की आर्थिक स्थिती मे सुधार होगा।

7.भारत सरकार द्वारा प्रदेश में (Center of Excellence: Dairy farm- cum –Training center) की स्थापना हेतू मुवलिक 44.12 करोड स्वीकृत किये हुऐ है जिसमें से मु0 22.06 करोड की पहली किश्त 01.07.2021 को प्राप्त हो गई है ।

8 राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान योजना(NAIP)

प्रथम चरण – दिनांक 15–9–2019 से 31–5–2020 कृत्रिम गर्भधान हेतू भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य 220000 जिसके अर्न्तगत 163514 कृत्रिम गर्भधान किया गया है । इस योजना मे भारत सरकार से राशि मु0 519.43 लाख रुपये प्राप्त हुए थे जिसका पूर्ण उपयोग कर लिया गया है।

द्वितीय चरण– दिनांक 1–08–2020 से 31–07–2021 कृत्रिम गर्भधान हेतू भारत सरकार द्वारा निर्धरित लक्ष्य 601957 जिसके अर्न्तगत 733706 कृत्रिम गर्भाधान किया गया है । इस योजना में भारत सरकार से राशि मु0 1583.60 लाख रुपये प्राप्त हुए थे। जिसमें से अभी तक इस योजना राशि मु0 302.26 लाख रुपये का उपयोग कर लिया गया है।

9.सेक्स सॉटेड वीर्य आधारित कृत्रिम गर्भधान की व्यवस्था करने हेतू मु0 841.65 लाख की राशि उपलब्ध है। भारत सरकार द्वारा यह सीमन उपलब्ध करवाने हेतू संस्था का चयन कर लिया गया है । व इन वीर्य तृणो के क्रय हेतू 25000 वीर्य तृणो के आपूर्ति आदेश BAIF Development Board को जारी किये गए थे जिसमें से 17500 सेक्स सॉटेड वीर्य तृणो को तृणो को प्राप्त कर लिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अर्न्तगत योजनाए :–

1.**''ग्रामीण आंगनबाडी बकरी विकास परियोजना''**:–यह परियोजना केवल बी0पी0एल0 लाभार्थियों के लिए है। इस योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 लाभार्थियों को एक इकाई जिसमें 11 बकरियां (10 मादा + 1 नर) प्रदान की जा रही है, जिसके लिए केन्द का अंश 90 प्रतिशत, राज्य का अंश 5 प्रतिशत तथा लाभार्थी अंश 5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

उद्देशयः–समस्त जाति वर्ग के बी0पी0एल0 बकरी पालकों की आय में वृद्धि करने के अवसर प्रदान करना तथा मीट उत्पादन में बढौंतरी करना ।

2.**''ग्रामीण आंगनबाडी सुअर विकास परियोजना ''**:–इस योजना के अन्तर्गत भूमिहीन एंव लघु/सीमांत किसानों के लाभार्थियों को एक इकाई 4 सुअर (3 मादा + 1 नर) प्रदान किया जाएगा। जिसके लिए केन्द का अंश 90 प्रतिशत, राज्य का अंश 5 प्रतिशत तथा लाभार्थी अंश 5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

उद्देशयः– भूमिहीन एंव लघु/सीमांत परिवारों के लाभार्थियों आय में वृद्धि करने के अवसर प्रदान करना तथा मीट उत्पादन में बढौंतरी करना ।

3.**''रिस्क मैनेजमैंट एंव बीमा योजना**''– केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना ''राष्ट्रीय पशुधन मिशन'' के अन्तर्गत ''रिस्क मैनेजमैंट एंव बीमा योजना'' के कार्यान्वयन किया जा रहा है। जिसमें कि दस हजार पशुओं का बीमा किया जाएगा ।

इस योजना के अन्तर्गत सभी जाति वर्ग के पशुपालकों के दुधारू पशुओं का बीमा किया जाएगा ।

4. **इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट (IPPP)LIT**:–सभी वर्ग इसके लिए पात्र है जबकी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, बी0पी0एल0, महिला लाभार्थी तथा SHG,FPOs,सहकारी समितियां आदि को प्राथमिकता दी जाती है। योजना के अंतर्गत केन्द्र का अंश 90 प्रतिशत, व राज्य का अंश 10 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। योजना का उद्देशय बढती आबादी को प्रोटीन की आवश्यकताओं को पूरा करना तथा किसानों की आय दोगुनी करना है। लाभार्थी को 4 सप्ताह की आयु के 400 चूजे दो बराबर किश्तों (200 चुजे प्रति किश्त) में 72 सप्ताह के अंतराल पर प्रदान किए जाते हैं।

5.इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट (IPPP)(Broiler) :– सभी वर्ग इसके लिए पात्र है जबकी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, बी0पी0एल0, महिला लाभार्थी तथा SHG,FPOs,सहकारी समितियां आदि को प्राथमिकता दी जाती है। योजना के अंतर्गत केन्द्र का अंश 90 प्रतिशत, व राज्य का अंश 10 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। लाभार्थी को एक दिवसीय आयु के 600 ब्रायलर चूजे 4 बराबर किश्तों में (150 चुजे प्रति किश्त) प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुक्कुट आहार,फीडर,ड्रिंकर तथा कुक्कुट बाडा बनाने के लिए सहायता का प्रावधान भी हैं।

(ग) पशुधन स्वास्थ्य एवं रोगों की रोकथाम के अर्न्तगत योजनाए (Livestock Health and Disease Control) :–केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में इस केन्द्रीय प्रायोजित योजना में पशुओं की बीमारियों के नियन्त्रण के लिये राज्यों को सहायता (ASCAD) मुंह–खुर रोग का नियन्त्रण कार्यक्रम FMD-CP व पी. पी. आर. रोग नियन्त्रण कार्यक्रम PPR-CP के अन्तर्गत पशुओ के विभिन्न संक्रामक रोगों जैसे, गलघोटू, लगड़ा बुखार Sheep Pox, PPR & Enterotoxaemia से बचाव हेतू टीकाकरण किया जाता है।

1. **पशु रोग (ASCAD) के नियंत्रण के लिए राज्य को सहायताः–**

पशुधन और कुक्कुट के जूनोटिक रोगों के नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जाती है इसके अर्न्तगत टीकाकरण, जैविक इकाइयों को मजबूत करना, सेवारत पशु चिकित्सकों तथा पैरा–वैटरीनेरियन को प्रशिक्षित करना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम के अधीन Anti Rabies Vaccination तथा गाय व भैंसों में आन्तरिक परजीवीयों के प्रतिरक्षण हेतू केन्द द्वारा वितीय सहायता प्रदान की जाती हैं। हिमालयी क्षेत्र के लिए फंडिंग पैटर्न 90:10 केंद्र : राज्य का है।
किसानों को पक्षियों को मारने, संक्रमित जानवरों को खत्म करने, तथा फीड व अंडे को नष्ट करने के लिए केंद्र व राज्य के बीच परिचालन लागत 50:50 मुआवजे के रूप में प्रदान की जाती है।

2. **पेस्टे डेस पेटिट्स रुमिनैट्स कंट्रोल प्रोग्राम (PPR-CP):–** यह कार्यक्रम वर्तमान में सभी अतिसंवेदनशील भेड़ और बकरियों का टीकाकरण करने हेतू पूरे देश में लागू किया गया है। टीकाकरण और निगरानी के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हिमालयी क्षेत्र के लिए फंडिंग पैटर्न 90:10 केंद्र : राज्य का है।

3- राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP-FMD&BUUCELLOSIS): – यह 100 प्रतिशत पात्र मवेशियों का टीकाकरण करके मुंह–खुर की बीमारी और ब्रूसेलोसिस के नियंत्रण के लिए सितंबर, 2019 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता पर एक प्रमुख योजना है, एफएमडी के लिए गाय ,भैंस, भेड़, बकरी और सुअर की आबादी और ब्रूसेलोसिस के लिए 4–8 महीने की उम्र के 100 प्रतिशत गोजातीय बछडीयां पात्र हैं।

11.विस्तार सेवाएं

पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश, पशुपालकों को पशुपालन सम्बन्धी नवीनतम जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु प्रशिक्षण शिविरों, पशु–प्रदर्शनी और पशु–मेलों का आयोजन करता है। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के माध्यम से पशुपालन सम्बन्धी नवीनतम जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त विभागीय प्रक्षेत्रों में पशुपालकों को पशुपालन सम्बन्धी व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है।

12. परिवीक्षण एवं मूल्यांकन

क. निदेशक, पशुपालन के नेतृत्व में संयुक्त निदेशकों, उप–निदेशकों व सहायक निदेशकों के माध्यम से विभागीय गतिविधियों/ योजनाओं का लगातार कार्यान्वयन, परिवीक्षण व मूल्यांकन किया जाता है।

ख. पशु उत्पादों का अनुमानित उत्पादन

पशुपालन विभाग भारत सरकार द्वारा प्रायोजित 50:50 स्कीम **"संयुक्त नमूना सर्वेक्षण (Integrated Sample Survey for the Estmation of Major Livestock Products viz. Milk, Egg, Wool & Meat)** भी कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के अन्तर्गत प्रदेश में मुख्य पशु जन्य उत्पादों यथा दूध, अण्डे, ऊन व मांस के उत्पादन के अनुमान लगाये जाते हैं जो भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किये जाते हैं।
वर्ष 2021–22 में पशु समुदाय से प्राप्त होने वाले मुख्य उत्पादों का अनुमानित उत्पादन निम्न प्रकार रहाः–

दूध	1615.286 हजार टन
ऊन	1432.852 टन
अण्डे	1016.013 लाख
मांस	4730.966 टन

Government of Himachal Pradesh
Department of Animal Husbandry

No. AHY-A (3)-1/2017 Dated Shimla-171002,

NOTIFICATION

In exercise of the powers vested under Section of the HP Public Service Guarantee Act, 2011 and in supersession of this Department Notification No. AHY-(3)-2/2011, dated 2-12-2011, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the following five more services(at Sr.No.4 to 8) in addition to services mentioned at Sr. No. 1 to 3, Designated Officers, 1st Appellate Authority and 2nd Appellate authority under "HP Public Service Guarantee Act, 2011" for providing the services within the prescribed time limits relating to the Animal Husbandry Department, Himachal Pradesh for the purpose of the above said Act:

No.	Title of Service	Designated Officers/ Official	Time limit for providing Service	Designation of 1st Appellate Authority	Designation of 2nd Appellate Authority
1	Artificial Insemination	Skilled Inseminator of the concerned area	**At the Veterinary Institution**:-On receipt of request for Artificial Insemination the skilled inseminator shall examine the concerned cow/buffalo **within** two hours and after examination, depending on stage of estrus, he will decide the time of conducting the Artificial Insemination **At door step of the livestock owner**:- On receipt of request for Artificial Insemination the skilled insemination the skilled insemination shall examine the concerned cow/buffalo at the doorstep of the farmer	Deputy Director(AH/B)/Controlling Officer of the concerned area.	State Information Commission

	the livestock	Officer/ Veterinary Officer	officer will proceed for conducting postmortem within following time schedule:- 1. If the site of conducting Post Mortem is connected with motorable road-Max 12 hours. 2. If the site of conducting Post Mortem is connected with foot path-Max. 24 hours. 3. If the site of conducting Post Mortem falls in inaccessible area-Max. 48-72 hours. **Issuance of Post Mortem Report-** Max.3 days after conducting the post Mortem.		
4.	Attending Outdoor Patients	Senior Veterinary Officer/ Veterinary Officer/ Paravets	First come first serve basis. However, the emergency cases would be given priority.	Deputy Director(AH/B)/Controlling Officer of the concerned area	State Information Commission
5.	Prophylactic mass vaccination of animals against various infectious diseases	Senior Veterinary Officer/ Veterinary Officer/ Paravets	As per Vaccination Calendar	Deputy Director(AH/B)/Controlling Officer of the concerned area	State Information Commission
6.	Post bite Anti-rabies vaccination	Senior Veterinary Officer/ Veterinary Officer/ Paravets	As and when required	Deputy Director(AH/B)/Controlling Officer of the concerned area	State Information Commission

7.	Issue of Death Certificate of Animals	Senior Veterinary Officer/Vety. Officer/ Paravets	On receipt of written request the designated officer/official will proceed to the site where carcass is lying for verification purpose within following time schedule: If the site where carcass is lying, is connected with motorable road-**Max.12 hours.** If the site where carcass is lying,is connected with foot path-**Max.24hours.** If the site where carcass is lying, falls in inaccessible area-**Max.72hours.** **Issuance of Death Certificate-**Max.3 days after verification of the carcass.	Deputy Director(AH/B)/Controlling Officer of the concerned area	State Information Commission
8.	Dealing Outbreaks	Senior Veterinary Officer/ Veterinary Officer/ Paravets	Maximum 12 hours when the outbreak is reported.	Deputy Director(AH/B)Controlling Officer of the concerned area	State Information Commission

Provision of Services within time schedule will depend on availability of staff and inputs at the institution concerned, otherwise extra time will be required to arrange staff from nearby institutions along with emergency medicines/inputs/transport etc.

By order

Principal Secretary (AH) to the
Govt. of Himachal Pradesh.

Endst: No. As above, Dated Shimla-171002 the 17. 11. 2017
Copy is forwarded for favour of information and necessary action to:-

1. The Secretary to Governor, Himachal Pradesh, Raj Bhawan Shimla, Shimla-2
2. The Principal Secretary to the Chief Minister, H.P. Shimla-2
3. The Special Secretary-cum-Pr. Private Secretary to the Chief Minister, H.P. Shimla-2.
4. The Sr. Private Secretary to Chief Minister, HP, Shimla-2.
5. All Administrative Secretaries, Government of Himachal Pradesh.

--2--

6. The Pr. Secretary (Admn. Reforms) to the Govt. of H.P. , Shimla-2
7. All Deputy Directors(AH/B) in Himachal Pradesh.
8. All Joint Director of Animal Husbandry in HP.
9. The Director of Animal Husbandry, Himachal Pradesh, Shimla-5 w.r.t his letter No. AHY-H(2)B(10)2/2016-PSG-II, dated 26-07-2017.
10. The Controller, Printing & Stationery Deptt., H.P. Printing Press, Shimla-5 with request to publish the above notification in H.P. Rajpatra (Extra Ordinary).
11. Guard file.

(Navneet Kapoor)
Deputy Secretary (AH) to the
Govt. of Himachal Pradesh
Tele. No. 0177-2880495

Penalty

(1) Where the second appellate authority is of the opinion that the designated officer has failed to provide service or has caused delay in providing such services without sufficient and reasonable cause there is provision to impose a lump sum penalty under this act which shall not be less than one thousand rupees but not more than five thousand rupees.

Provide that the designated officer shall be given a reasonable opportunity of being heard before any order of penalty is passed against him.

(2) The Second appellate authority may order to give any amount as compensation to the appellate from out of penalty imposed under this section, but the amount of such compensation shall not accede the amount of penalty imposed:

Provided that any penalty imposed under this section on the designated officer for delay is providing the service is refusal to provide service shall be borne by such officer in personal capacity but not as a functionary of the state Government unless the second appellate authority directs otherwise.

Provided further that the second appellate authority may, after hearing the designated officer, apportion the amount of penalty amongst designated officer and any other officer (s) as may be found to have contributed to such denial or delay in providing the service.

(3) If the second appellate authority is satisfied that the designated officer has failed to discharge the duties under this act, without sufficient and reasonable cause, then it may also recommended to the appointing or disciplinary authority of the designated officer and disciplinary action under the applicable service rules be also initiated against such officer.

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH

ANIMAL HUSBANDRY
DEPARTMENT

INFORMATION
IN
RESPECT OF

RIGHT TO INFORMATION ACT-2005
(IN PURSUANCE OF SECTION 4(1)(b) OF THE RIGHT TO INFORMATIION ACT, 2005)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT
INFORMATION
UNDER SUB-CLAUSE(II)
OF SECTION 4(1)(b) OF THE RTI ACT,2005.

i) Particulars of Organization, Functions and Duties of the Department.

(a) Particulars of the Organization:

The Organization chart of the department as per Annexure-A

(b)Particulars of Functions & Duties.

1. Animal Health and Veterinary Services.
2. Cattle and Buffaloes Breeding.
3. Sheep and Wool Development.
4. Poultry Development.
5. Angora Rabbit Breeding.
6. Horse Breeding.
7. Feed and Fodder Development.
8. Animal Husbandry Extension Programme.

ii) Powers and Duties of the Officers and employees of the department.

(a) Director of Animal Husbandry

1. Director Animal Husbandry being the Administrative and Professional head of the Animal Husbandry Department in the State, exercise all the Administrative and Financial Powers as enjoined upon the Heads of the Departments in the Himachal Pradesh Government.
2. He shall act as a Chief Technical Advisor to the State Government on all matters relating to the Animal Husbandry Department.
3. He shall control all the Animal Husbandry affairs in the State and shall issue special instructions considered necessary for administrative and professional reasons.

4. Any major policy matter relating to the professional activity shall be undertaken by him in consultation with two other Senior Officers of the Department who are Specialists in their disciplines.
5. He shall be responsible for preparation of the budget and appropriation proposals for the whole department for consideration and approval of the Govt.
6. Submissions of all the reports and returns to the Government (Monthly/Quarterly/Annual Progress reports).
7. He shall exercise all the powers delegated to him by the Government and shall be directly answerable to the Govt.

(b) Joint Director of Animal Husbandry

1. The Joint Director will assist the Director Animal Husbandry in the performance of his duties and responsibilities as stated above.
2. He shall be required to inspect the institutions under his control and shall exercise all the administrative and financial powers of the controlling officer within his jurisdictions.

(c) Deputy Director of Animal Husbandry

1. He shall be responsible for all the Animal Husbandry Activities and for the implementation of various schemes within his jurisdiction.
2. He shall be responsible for executing and monitoring the progress of various schemes as to their financial and physical achievements.
3. He shall furnish all the reports and information to the Director, Animal Husbandry and any other controlling officer as required by them from time to time.
4. He shall supervise and issue necessary instructions to its subordinate for the proper implementation of the schemes of the department from time to time.

(d) Assistant Director of Animal Husbandry

1. He shall be responsible for all the Animal Husbandry Activities and implementation of various schemes within his jurisdiction.

(e) Senior Veterinary Officer of Animal Husbandry

1. He shall be responsible for the execution of various schemes / programmes of the department within his sub-division.
2. He shall supervise the working of Veterinary Hospitals and Veterinary Dispensaries in his Sub-Division.
3. He shall act as a representative of the department in dealing with other departments at the Sub-Division Level.

(f) Veterinary Officer of Animal Husbandry

1. He shall be responsible for the execution of various schemes/ programmes of the department within his jurisdiction.
2. He shall be responsible for providing Animal Health/ Breeding Services in his institution.
3. He shall be responsible for the supervision and monitoring of Animal Husbandry Activities in the institutions under his control/ jurisdiction.

(g) Animal Husbandry Assistant/ Veterinary Pharmacist

1. He shall be responsible for providing Animal Health/ Breeding Services in his institution.
2. He shall be responsible for all stock and store in veterinary dispensaries
3. He shall compile all retuns and other information desired by the department and submits in time to the higher ups.
4. He shall maintain all relevant records of dispensary.

iii) Procedure followed in the decision- making process, including channels of supervision and accountability.

There is a set procedure for decision-making process, including channels of supervision and accountability in the Department of Animal Husbandry as has already been depicted in the organizational chart **at Annexure-A**

iv) Norms set by the Department for the discharge of its functions.

As per the present norms set up by the Govt. of Himachal Pradesh for discharging the functions and activities of the Department of Animal Husbandry, there is atleast one Vety. Institution in every panchyat of the State.

Presently a total of 3544 institutions are functioning in the State, whose detail is given district-wise and institutions-wise in tabulated form as **Annexure-B.**

v) Acts, Rules, Regulations, instructions, Manuals and Records held by the Department or under its control or used by its employees for discharging its functions.

1. The Himachal Pradesh Prohibition of Cow Slaughter Act, 1979.
2. The Himachal Pradesh Livestock Improvement Act 1968 and Rules 1969.
3. The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 and Supplementary Rules made under this Act.

4. The Himachal Pradesh Livestock and Bird Diseases Act, 1968.
5. CCS Leave Rules, 1972.
6. CCS (CCA) Rules,1965
7. CCS Conduct Rules, 1964.
8. HPFR Rules Vol-I & II.
9. Medical Attendance Rules,(1940)
10. HB Advance Rules
11. Leave Travel Concession Rules.
12. Budget Manual.
13. Pension Rules.
14. GPF Rules.
15. General Finance Rules
16. Vehicle Rules.
17. Subsidiary Treasury Rules.
18. T.A. Rules (HP)
19. Departmental Manual of Animal Husbandry Department.
20. Citizens Charter of Animal Husbandry Department,(H.P.)
21. Office Manual of H.P.Govt.
22. FR/SR Rules.

VI Statement of the categories of documents that are held by the Department or under its control.

(a)Records/Registers maintained at the Veterinary Institutions of the department.

1. Out -door Patient Register.
2. Artificial Insemination Register.
3. Stock Book of Medicines/Ledger Articles.
4. Progeny Register.
5. Income Register.
6. Tour Register.
7. Vaccination Register.
8. Monthly/Quarterly/Annual progress reports files/register.
9. Livestock Register.
10. Feed and Fodder Register.
11. Breeding, Progeny and Pedigree Register of the Farms.
12. Milk, Egg, Wool, Meat Production Register.

13. Postmortem Register/File.
14. Livestock Auction/ Sale Register.

(b) Records maintained in the Establishment Section.

1. Diary/Despatch Register.
2. Attendance Register.
3. Casual Leave Register.
4. Service Books of the Staff.
5. Personal /Transfer Files of the Staff.
6. Establishment Returns (quarterly), Files.
7. Inspection Note Files.

(c) Records maintained in the Accounts Section

1. Contingent Bill Register.
2. Treasury Bill Register.
3. Cash Books.
4. Receipt Books.
5. Monthly Income and Expenditure Registers & Files.
6. Advances Register.
7. Budget Files.
8. Pay Bill Register.
9. Payment Register.
10. CAG Reports Register.
11. Audit Reports.

(d) Miscellaneous Register

1. Log Books of Vehicles.
2. Assembly Business Files.
3. Parliamentary Question Files.
4. Vidhan Sabha Committee Reports.
5. Annual Administrative Reports.
6. Annual Budget Books
7. Administrative Approval and Expenditure Sanction Files of the Major and Minor Works.
8. Monthly /Quarterly/Annual progress report of the department.
9. Pool Medicine Register.

(e) Records at the Sperm Station/LN2 Plants.

1. Semen Straw Production Register/ Distribution Register.
2. Bull Register.
3. LN2 Production Register.
4. LN2 Distribution Register.
5. A.I.Equipment/ Distribution Register.
6. Ledger Register/Stock Book.

vii) Particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by, the members of the public in relation to the formulation of Department's policy or implementation thereof.

Animal Husbandry Department has prepared a Citizen's Charter for the information of the General Public, which facilitates in the implementation of programmes/ policies/ scheme of the Department.

At the grass-root level the departmental representatives i.e. Veterinary Pharmacist/ Animal Husbandry Assistant/Veterinary Officer/Sr.Vety.Officer are regularly attending the Quarterly Gram-Sabha Meetings, for the redressal of the grievances of the General Public, as well as for taking suggestion of the Public. Besides this, the departmental officers are regularly attending the 20 Point Programmes Meetings/ Grievances Meetings, Developmental Activities Meetings/ District level Meetings/ Zila Parishad level. At the State level, Planning Meeting held under the Chairmanship of Chief Minister, Suggestions/ Guidelines given by all the MLA's are incorporated in the Programmes and Policies of the Department for its implementations.

viii) Statement of Boards, Councils, Committees or other bodies consisting of two or more persons constituted as a part of the Department or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public.

The department of Animal Husbandry has constituted the following boards/committees etc.

1. H.P.Livestock Development Board.
2. State Animal Welfare Board, Himachal Pradesh.
3. Govansh Samverdhan Board
4. State Level Purchase Committee.
5. District Level Purchase Committee.
6. Technical Committees.
7. Livestock Culling Committee.
8. H.P. Vety Council

9. H.P. Para Vety Council

The proceedings of these boards/committees are accessible to the public.

ix) Directory of officers and employees of the department- See at departmental website www.agrisnertgov.in

x) Monthly remuneration received by each of department's officers and Employees.

Class-I

S.No.	Name of post	Pay Scale.
1.	Director,Animal Husbandry,H.P.	148800-218600(Level-31)
2.	Joint Director,Animal Husbandry,H.P.	123100-209600(Level-28)
3.	Dy.Director/Asstt.Director/Sr.Vety.Officer/Veterinary Officer. **Note:-** Vety. Officer being appointed in the Department of Animal Husbandry on contract basis are given Rs. 15600+5400 GP=21000/-P.M. (consolidated salary)	122800-209100(Level-27)
4.	Dy.Director(Law)	67400-201200(Level-21)
5.	Agrostologist	48700-154300(Level-16)
6.	Dy.Director(Dairy)	48700-154300(Level-16)
7.	Dy.Director(Stat)	48700-154300(Level-16)
8.	Assistant Controller (F&A)	48700-154300(Level-16)
9.	Private Secretary	48700-154300(Level-16)
10.	Supdt.Grade-I.	48700-154300(Level-16)
	Class-II	
1.	Section Officer(SAS)	46000-146500(Level-13)
2.	Statistical Officer	46000-146500(Level-13)
3.	Asstt. Agrostologist	46000-146500(Level-13)
4.	Supdt.Grade-II.	43000-136000(Level-12)
5.	Personal Assistant	43000-136000(Level-12)
6.	Technical Assistant(Stat)	43000-136000(Level-12)
	Class-III	
1.	Sr.Scale Stenographers	38500-122700(Level-11)
2.	Sr.Assistant.	38500-122700(Level-11)
3.	Jr.Engineer	38500-122700(Level-11)

4.	Stat.Assistant	38500-122700(Level-11)
5.	Dairy Inspector	38500-122700(Level-11)
6.	Chief Vety Pharmacist	38100-120400(Level-10)
7.	Animal Husbandry Assistant	38100-120400(Level-10)
8.	Vety. Pharmacist.	28900-91600(Level-07)
9.	Jr.Scale Stenographer	28900-91600(Level-07)
10	Steno -typist	21300-67800(Level-05)
11	Driver	21300-67800(Level-05)
12.	Enumerator	20200-64000(Level-03)
13.	Clerks	20200-64000(Level-03)
14.	Junior Office Assistant (IT)	20600-65500(Level-04)
15.	Computer Operator	20600-65500(Level-04)
16.	Junior Technician **(Machanic, Electrician, Plant operator, etc.)**	20200-64000(Level-03)
17.	Technician Grade-II **(Machanic, Electrician, Plant operator, etc.)**	28900-91600(Level-07)
18.	Technician Grade-I **(Machanic, Electrician, Plant operator, etc.)**	35600-112800(Level-09)
19.	Cooperative Inspector	38100-120400(Level-10)
	Class-IV	
1.	Gestetnor Operator	20200-64000((Level-03)
2.	Peon/BCWC/Beldar/Sweeper/otherclass-IV posts.	18000-56900(Level-01)
3.	Daftari	20200-64000(Level-03)

Note:- Law officer has temporarily upgraded to Dy.Director(Law).

xi) Budget, allocated to each of the Department's agencies, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made. The budget availability is depicted in the following table for the year 2021-22(including CSS)

Demand No-14. Animal Husbandry (Budget in thousands)

Description	**State Dev.**	**Total**
Direction & Administration.	204185	204185
Veterinary Services & Animal Health.	2614457	2614457
Cattle & Buffalo Development.	201061	201061
Poultry Development.	64235	64235
Sheep & Wool Development.	39516	39516
Other Livestock Development.	16188	16188
Fodder & Feed Development.	32565	32565
Extension & Training	500	500
Administrative Investigation & Statistics.	14298	14298

Rashtriya Krishi Vikas Yojna	23333	23333
National Livestock Mission	128003	128003
Animal Mandi	0	0
Uttam Pashu Pursakar Yojna	5000	5000
Dairy Development.	204387	204387
Capital Outlay on AH.	129166	129166
Public Works	7875	7875
Housing	1088	1088
Grand Total Demand No. 14	**3685857**	**3685857**

Under Demand No. 15 –Backward Area **Sub-Plan**

Veterinary Services & Animal Health	11540	11540
Grand Total Demand No -15	11540	11540

Under Demand No-31 Tribal Development

Tribal Area Sub Plan	333760	333760
Rashtriya Krishi Vikash Yojna	6800	6800
Agriculture Research & Education.	6770	6770
Capital Outlay on A.H.	36723	36723
S.C.A. to TASP	6775	6775
Conservation of threatened breed	0	0
Cattle registration	0	0
Dairy Development	27050	27050
Grand Total Demand No. 31	**417878**	**417878**

Under Demand No. 32- Schedule Caste Sub-Plan

Description	State Dev	Total
Veterinary Services & Animal Health	71217	71217
Cattle & Buffalo Development (SOON)	0	0
Cattle & Buffalo Development (AOON)	0	0
Estt. of Semen Lab (SOON)	4532	4532
Central &Distt. Poultry Farms (SOON)	0	0
Central &Distt. Poultry Farms (AOON)	7694	7694
Sheep Breeding Farm Centres	4547	4547
Sheep & Goat Rearing	0	0
Rashtriya Krishi Vikas Yojna	18900	18900
Cattle registration	0	0
Dairy Development	75431	75431
Capital Outlay on A.H.	30200	30200
ASCAD	0	0
NPRE	0	0
Veterinary Council	500	500
Livestock Census	0	0
Animal Welfare Board	2000	2000
Peste des Petits Ruminants	842	842
National Livestock Mission	35739	35739
FMD(CP)	0	0
Burcellois Control Program	0	0
Cattle feed subsidy to below poverty line families	14400	14400
5000-Broileer scheme (Him kukiut Palan yojna	10000	10000
Krishak Bakri Palan yojna	3075	3075
Subsizied Ram to sheep Breeders	500	500
Grand Total Demand No -32	**279577**	**279577**
Grand Total Animal Husbandry 2021-22	**4394852**	**4394852**

xii) Manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes.

At present, the department is executing the following programmes under which assistance/ subsidy is being provided to:-

1. **200-chicks scheme (BPL families belonging to SC category):-** With objectives to fullfil the protein requirements of rural & poor population to generate self –employment to enable to increase farmers' income and also provide good quality manure the poultry breeders of BPL families belonging to the Schedule Caste categories are provided with assistance of maximum Rs. 10000/- (per beneficiary) in kind of 200 No. day old LIT chicks, feed for initial feeding of chicks, feeders, drinkers.Besides this, there is also a provision of training regarding poultry farming to beneficiaries.

2. **Him Kukkut Palan Yojna:-** The farmers who have undertaken training in poultry farming from Government Poultry farms belonging to SC/ST/ General categories are provided with benefits. The funds are provided against capital investment, feeders, drinkers, cost of chicks and feed etc. In this scheme commercial day old broiler chicks are provided in multiples of 1000 chicks up-to 3000 chicks (i.e. Maximum 3 rotations). There is a provision of 60% subsidy on capital investment, feeders, drinkers, cost of chicks, feed& Iitter etc.

3. **Backyard Poultry Scheme** :-In order to pace the poultry development the backyard poultry scheme is being implemented in the state. Poultry breeders belonging to SC/ST/ General categories are provided with 50-100 LIT chicks/per unit up-to 3 weeks of age on cost basis (as approved by the Govt.) on nearest road head. These chicks are distributed to the farmers at rate depending upon age of the chicks i.e. :-

Day old chick	Rs. 29/-
2 day to 1 week age	Rs. 32/-
1-2 week age	Rs. 36/-
2-3 week age	Rs. 38/-
3-4 week age	Rs. 48/-
4-5 week age	Rs. 58/-

4. **Assistance to State for control of Animal Diseases (ASCAD 90:10 Central: State sharing)**

Under this scheme assistance is provided to State on a 90:10 sharing basis during the year 2021-22 for control of economically important diseases of livestock and poultry through immunization , strengthening of disease Diagnostic laboratories, holding of workshops/Seminars and training of vets and paravets, surveillance and conrol measures for Avian Influenza are also covered under this scheme. From this year funds shall also be provided for endo parasitic control programme depending on the prevailing parasitic profile in the state.

5. **Peste des petits Ruminants Control Programme (PPR-CP 90:10 Central: State sharing)**

The overall objective of the project is to reduce the incidence of PPR amongst sheep and Goat population, reduction of economic losses and consequently protection of animal health,

improvement of Wool and meat production in the State of Himachal Pradesh by way of mass vaccination.

Specific Objectives:-

a) Mass vaccination of sheep and goat (covering 100 % of population of sheep and goat). A total of 19.19 lac PPR vaccines are proposed.

b) Strengthening of ELISA LAB for the diagnosis, surveillance and epidemiology networking.

c) Creating cold chain –facility for storage of vaccines and diluents at the field level.Public awareness, communication and inter- state cooperation.

6.**National Animal Disease Control Programme(NADCP-FMD-& BRUCELLOSIS)**

a) Free of cost FMD vaccination at the farmer's doorstep covering entire cattle and buffalo population of the State by way of mass vaccination campaign twice a year (at six monthly interval). A total of 24.50 lac cattle and buffalo population are proposed to be covered under this drive for the year 2021-22 in 1st Round of FMD vaccination. FMD vaccination is envisaged on 2nd rounds at 6 months interval. Vaccine id provided by the GOI on no-cost basis bi-annually.

b) Creating awareness amongst general public about the disease (FMD) its economic significance and benefits of vaccination.

c) Provision of deworming free of cost for better feed conversion, improved productivity, healthy livestock, creating better immune response and improved herd immunity amongst cattle and buffalo population of the State

d) Free of cost testing of clinical samples by Elisa for FMD disease diagnosis.

e) FMD- Seromonitoring to assess the FMD vaccine sero- conversion and herd immunity.

7.Grant to Dairy Cooperative Societies

1.The Govt. of H.P. through Animal husbandry department is providing freight subsidy to the Dairy Cooperative Societies at Rs.1/- per liter on collection marketing of Milk.

2.Grant –In-aid equal to market fee deposited with APMC on Marketing of milk is also being provided to the Dairy Cooperative Societies who submitted their claims for the same to Animal Husbandry department.

8. Provision of Subsidized Rams to Sheep Breeders of all categories in H.P.

Under this scheme,it has been proposed to provide breeding Ram on 60% subsidy to sheep breeders of all categoryof H.P. having flock of 25 sheep.

Objective of the Scheme:- 1.Genetic improvement of indigenous sheep breeds and dissemination of superior Germplasm amongst the migratory flocks of sheep in Himachal Pradesh.

2. To improve quality and quantity of meat and Wool being produced in the state,ensuring better economic returns to sheep breeders.

3. To resolve the problem of inbreeding amongst the migratory sheep flocks of sheep breeders of all categories.

Eligible Beneficaries:- Sheep Breeders of all categories of Himachal Pradesh.

9. Krishak Bakri Palan Yojna/ Promotion of sheep & Goat scheme :-

Under these scheme, it has been proposed to distribute units of 11 goats (10female+1male), 5 goats (4female+1male) and 3goats (2female+1male) of Beetal/Sirohi/Jamnapari/White Himalayan long hared breeds on 60% subsidy to beneficiary of APL families w.e.f. 2021-22.

Objectives of Scheme: - To enhance income opportunities for farmers from the APL category who have very small and fragmented land holdings and to increase the meat and goat milk production in the state.

Eligible Beneficiaries:-farmers belonging to APL (Above Poverty Line) of all categories of Himachal Pradesh are eligible. Training/awareness in skills of goat husbandry is mandatory for the applicants.Conerned Senior Officer will provide training to interested farmers/applicants.

10. **Provision of Pregnancy ration for Cattle and Buffaloes**

The department is providing pregnancy ration to the Scheduled Caste / BPL families of General Category rearing desi/indigenous cattle at 50% subsidy. The pregnancy ration is provided to the pregnant cows/ buffaloes during the last trimester of its pregnancy @ 3Kg. Per day (270 kg.in total). The main objective of the scheme is as under:-

1.Increase the milk production.

2.To reduce the inter calving period.

3.To improve the health of pregnant cows and it's calf.

11. Uttam Pashu Puraskar Yojna: - The scheme implemented in the entire State. Objective of the scheme :- To provide incentive and encouragement to livestock owners for rearing good quality high yielding animals.

Eligible Beneficiaries :- Owners of cattle/boffaloes giving 15 lts or more milk per day.

Incentive to be given :- Cash prize of Rs. 1000/- per cattle/buffaloes giving 15 lts or more milk per day.

12.Freight subsidy to Milk co-operatives

Freight subsidy of Rs. 1% of milk being collected by Dairy Cooperative Societies other than H.P. Milk Federation is being provided to fulfill following objectives:-

1. To reduce overhead cost of Dairy Cooperative Societies by providing freight subsidy.
2. Establishment of more Dairy Cooperative Societies in Rural areas. Improvement of Socio Economic Status of farmer

xiii) Particulars of recipients of concessions, permits or authorizations granted by the Department.

No permits and authorization are granted under any programme of the department. However the concessions in the shape of subsidy are being given by the department as depicted at point No.xii.

xiv) Details in respect of the information, available to or held by the Department reduced in an electronic form.

The website of the department is being hosted under AGRISNET scheme of Govt. of India.C2G, G2G and G2C sevices will be launched shortly.

xv) Particulars of facilities available to citizens for obtaining information.

Citizen Charter has already been prepared by the department and further circulated upto the Panchyat level-

The Names, Designations and Other Particulars Of The Public Information Officers.

Details of Proposed PIO and Appellate Authority: As on 26.12.2018

	Designation	**Complete Office Address**	**Office Telephone No.**	**E-mail Address**	**Jurisdiction/Units under his control for which he will rendering information to applicants**	**Remarks**
A) Name of Public Information Officer	Deputy Director (Poultry) Hqrs.	Directorate of Animal Husbandry, H.P., Shimla-5	0177-2920313	dir-ah-hp@nic.in	Whole of the Department	
B) Name of the Appellate Authority	Director Animal Husbandry, H.P.	Directorate of Animal Husbandry, H. P., Pashudhan Bhavan, Boileauganj, Shimla-5	0177-2830089	dir-ah-hp@nic.in	Whole of the Directorate	

	Designation	Complete Office Address	Office Telephone No.	E-mail Address	Jurisdiction/Units under his control for which he will rendering information to applicants	Remarks
	SHIMLA					
A) Name of Public Information Officer	Assistant Director (Ext.)	Deputy Director (AH/B) Shimla District Shimla H.P. Pashudhan Bhavan, Boileauganj, Shimla-5	0177-2832156	ddah-sml-hp@nic.in	Whole of the Department	
A) Name of Public Information Officer	Assistant Director, Sheep Breeding Farm, Jeori, Distt. Shimla H.P.	Assistant Director, Sheep Breeding Farm, Jeori, Distt. Shimla H.P			Whole of the Department	
B) Name of the Appellate Authority	Deputy Director (AH/B) Shimla District Shimla H.P.	Deputy Director (AH/B) Shimla District Shimla H.P.	0177-2832156	ddah-sml-hp@nic.in	Whole of the District Shimla	
	BILASPUR					
A) Name of Public Information Officer	Assistant Director (Ext.)	Deputy Director (AH/B) Bilaspur District Bilaspur H.P.	01978-222594	ddah-bil-hp@nic.in	Whole of the Department	
B) Name of the Appellate Authority	Deputy Director (AH/B) Bilaspur District Bilaspur H.P.	Deputy Director (AH/B) Bilaspur District Bilaspur H.P.	01978-222594	ddah-bil-hp@nic.in	Whole of the District Bilaspur	
	CHAMBA					
A) Name of Public Information Officer	Assistant Director (Extn.)	Dy. Director (AH/B), Chamba District Chamba H.P.	01899-222317	ddahb-cha-hp@nic.in	Whole of the Department	
B) Name of the Appellate	Dy. Director (AH/B), Chamba	Dy. Director (AH/B), Chamba	01899-222317	ddahb-cha-hp@nic.	Whole of the District Chamba	

	Designation	Complete Office Address	Office Telephone No.	E-mail Address	Jurisdiction/Units under his control for which he will rendering information to applicants	Remarks
Authority	District Chamba	District Chamba H.P.				
	PANGI					
A) Name of Public Information Officer	Assistant Director, (AH/B) Pangi, Distt. Chamba	Assistant Director, (AH/B) Pangi, Distt. Chamba H.P.	01897-242226	Adah-pangi-hp@nic.in	Whole of the Department	
B) Name of the Appellate Authority	---	---	----	---	----	It is requested that RC Pangi may be appointed as Appellate Authority at Govt. level, as there is single line Administration in Tribal area
	BHARMOUR					
A) Name of Public Information Officer	Assistant Director (SD) Bharmour, Distt. Chamba	Assistant Director (SD) Bharmour, Distt. Chamba H.P.	01895-225048	Assd-bharmour@gov.in	Whole of the Department	
B) Name of the Appellate Authority	---	---	---	--	---	It is requested that ADM Kaza may be appointed as Appellate Authority at Govt. level, as there is single line Administration in Tribal area
	SOLAN					
A) Name of Public Information	Assistant Director (Extn.)	O/O Dy. Director (AH/B), Solan Distt. Solan H.P.	01792-223593	ddofficesolan@gmail.com	Whole of the Department	

	Designation	Complete Office Address	Office Telephone No.	E-mail Address	Jurisdiction/Units under his control for which he will rendering information to applicants	Remarks
Officer						
B) Name of the Appellate Authority	Deputy Director (AH/B), Solan District Solan, H.P.	O/O Dy. Director (AH/B), Solan Distt. Solan H.P.	01792-223593	ddofficesolan@gmail.com	Whole of the District Solan	
	UNA					
A) Name of Public Information Officer	Assistant Director (Extn.)	O/O The Dy. Director (AH/B), Una Distt. Una H.P.	01975-226017	ddahb-una-hp@nic.in	Whole of the Department	
B) Name of the Appellate Authority	Dputy Director (AH/B), Una District Una H.P.	O/O Dy. Director (AH/B), Una Distt. Una H.P.	01975-226017	ddahb-una-hp@nic.in	Whole of the District Una	
	KANGRA					
A) Name of Public Information Officer	Assistant Director (Extn.)	O/o Deputy Director (AH/B) Kangra at Dharmsla District Kangra H.P.	01892-222061	ddahb-kan-hp@nic.in	Whole of the Department	
A) Name of Public Information Officer	Assistant Director (CP)	Assistant Director, Cattle Production, Palampur District kangra H.P.	01894-230467	adcp-plp-hp@nic.in	Whole of the Department	
B) Name of the Appellate Authority	Deputy Director (AH/B) Kangra at Dharmsla District Kangra H.P.	O/o Deputy Director (AH/B) Kangra at Dharmsla District Kangra H.P.	01892-222061	ddahb-kan-hp@nic.in	Whole of the District Kangra H.P.	
	KINNAUR					
A) Name of Public Information Officer	Assistant Director (Extn.)	O/o Deputy Director (AH/B) Kinnaur, District Kinnaur at Reckong Peo H.P.	01786-222570	ddah-kin-hp@nic.in	Whole of the Department	

	Designation	Complete Office Address	Office Telephone No.	E-mail Address	Jurisdiction/Units under his control for which he will rendering information to applicants	Remarks
B) Name of the Appellate Authority	Deputy Director (AH/B), Kinnaur District Kinnaur H.P.	O/o Deputy Director (AH/B) Kinnaur, District Kinnaur at Reckong Peo H.P.	01786-222570	ddah-kin-hp@nic.in	Whole of the District Kinnaur H.P.	
	HAMIRPUR					
A) Name of Public Information Officer	Assistant Director (Extn.)	O/O Dy. Director (AH/B), Hamirpur Distt. Hamirpur H.P.	01972-222476	ddah-ham-hp@nic.in	Whole of the Department	
B) Name of the Appellate Authority	Deputy Director (AH/B), Hamirpur District Hamirpur, H.P.	O/O Dy. Director (AH/B), Hamirpur Distt. Hamirpur H.P.	01972-222476	ddah-ham-hp@nic.in	Whole of the District Hamirpur	
	KULLU					
A) Name of Public Information Officer	Assistant Director (Extn.)	O/O Dy. Director (AH/B), Kullu Distt. Kullu H.P.	01902-222553	ddah-kul-hp@nic.in	Whole of the Department	
B) Name of the Appellate Authority	Deputy Director (AH/B), Kullu District Kullu, H.P.	O/O Dy. Director (AH/B), Kullu Distt. Kullu H.P.	01902-222553	ddah-kul-hp@nic.in	Whole of the District Kullu	
	MANDI					
A) Name of Public Information Officer	Assistant Director (Extn.)	O/O Dy. Director (AH/B), Mandi Distt. Mandi H.P.	01905-223077	ddah-an-hp@nic.in	Whole of the Department	
B) Name of the Appellate Authority	Deputy Director (AH/B), Mandi District Mandi, H.P.	O/O Dy. Director (AH/B), Mandi Distt. Mandi H.P.	01905-223077	ddah-an-hp@nic.in	Whole of the District Mandi	
	SIRMOUR					
A) Name of Public	Assistant Director (Extn.)	O/O Dy. Director (AH/B), Sirmour	01702-222303	Vetysmr-hp@nic.in	Whole of the Department	

	Designation	Complete Office Address	Office Telephone No.	E-mail Address	Jurisdiction/Units under his control for which he will rendering information to applicants	Remarks
Information Officer		Distt. Sirmour H.P				
B) Name of the Appellate Authority	Deputy Director (AH/B), Sirmour District Sirmour, H.P.	O/O Dy. Director (AH/B), Sirmour Distt. Sirmour H.P.	01702-222303	Vetysmr-hp@nic.in	Whole of the District Sirmour	
	LAHUAL & SPITI					
A) Name of Public Information Officer	Supdt. Grade –II, O/O Deputy Director (AH/B), Keylong District Lahual & Spiti, H.P.	O/O Dy. Director (AH/B) Keylong, Distt. Lahual & Spiti, H.P.	01900-222249	ddah-lah-hp@nic.in	Whole of the Department	
B) Name of the Appellate Authority	Deputy Director (AH/B), Keylong District Lahual & Spiti, H.P.	O/O Dy. Director (AH/B) Keylong, Distt. Lahual & Spiti, H.P.	01900-222249	ddah-lah-hp@nic.in	Whole of the District Lahual & Spiti	
	KAZA					
A) Name of Public Information Officer	Assistant Director (AH/B) Kaza Distt. Lahual & Spiti	O/O Assistant Director (AH/B) Kaza Distt. Lahual & Spiti, H.P.	**01906-222272**		Whole of the Department	

	Designation	Complete Office Address	Office Telephone No.	E-mail Address	Jurisdiction/Units under his control for which he will rendering information to applicants	Remarks
B) Name of the Appellate Authority	---	---	---	---		It is requested that ADM Kaza may be appointed as Appellate Authority at Govt. level, as there is single line Administration in Tribal area
	Gau Seva Aayog Shimla-1					
(A) Name of the Appellate Authority	Deputy Director, Gau Sewa Aayog.	H.P Gau Sewa Aayog State Vety Hospital,Cart Road Ground Floor Shimla -1	0177-2810514	hpgausevaayog @gmail .com	Whole of the Gau Seva Aayog	
(B)Name of Public Information Officer	Assistant Director Gau Seva Aayog	--do-	0177-2810515	hpgausevaayog@gmail. com	Whole of the Gau Seva Aayog	

Annual Report in persuence of section 4 (1)(b)of the Right to Information Act:-

1. Total 438(15 BPL) requests under RTI Act, 2005 for the period from 1-4-2021 to 31-3-2022 were received in the department which has been disposed off. An amount of Rs. 26107 has been collected by the Deptt.
2. 20 appeals were filed with appellate authority. Which have been disposed off.

3 No appeal / complaint were made with the State Chief Information Commissioner pertaining to the Department of Animal Husbandry Himachal Pradesh during the year 2021-22

नागरिक अधिकार पत्र

पशुधन सेवा–हमारा संकल्प

हमारा ध्येय

हिमाचल प्रदेश, पशुपालन विभाग प्रदेश के पशुपालकों के सर्वांगीण विकास हेतु पूर्णरूप से समर्पित है । पशुपालकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए विभाग, पशुधन स्वास्थ्य, रोग–अन्वेषण, रोग उपचार, चारा विकास, प्रजनन व पशु विकास, वैज्ञानिक ढंग से पशुधन प्रबन्धन एवं लुप्त हो रही देसी नस्ल की प्रजातियों के संरक्षण आदि कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है । पशुधन संवर्धन के माध्यम से प्रत्येक पशुपालक को स्वाबलम्बी बनाने और वर्ष भर निरन्तर आय व पौष्टिक आहार की प्राप्ति हेतु प्रयासरत है ।

वर्ष 1948 में,जब हिमाचल प्रदेश बना, प्रदेश में केवल 9 पशु चिकित्सा संस्थान थे । आज विभाग कुल 2297 नियमित पशु संस्थानों व 1234 मुख्यमन्त्री आरोग्य पशुधन योजना के अन्तर्गत खोले गए पशु संस्थानों के माध्यम से पशुधन के विकास हेतु सेवायें प्रदान कर रहा है ।

पशुपालन विभाग का स्वरूप व गतिविधियां

क्रम संख्या	संस्थान का नाम	संख्या	संक्षिप्त कार्य का विवरण
कः पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं			
1	राज्य पशु चिकित्सालय	1	यह संस्थान राजधानी शिमला में स्थित है । इसमें उच्च स्तरीय नैदानिक व विशेषज्ञ सुविधायें उपलब्ध है। मुख्यतः छोटे पशुओं के ईलाज के अतिरिक्त उच्च स्तर की रोग अन्वेषण सेवायें प्रदान की जाती है ।
2	आंचलिक चिकित्सालय	3	यह संस्थान जिला मण्डी , ऊना, कांगडा में स्थित है । इसमें उच्च स्तरीय नैदानिक व विशेषज्ञ सुविधायें उपलब्ध है। मण्डी संस्थान में पशु शल्य चिकित्सा, मैडीसीन, पैथोलोजिस्ट व गायनीकोलाजिस्ट की विशेषज्ञ सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
3	पॉलीक्लीनिक	10	इन संस्थानों में पशु शल्य चिकित्सा, मैडीसीन, पैथोलोजिस्ट व गायनीकोलाजिस्ट

			की विशेषज्ञ सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
4	उप–मण्डलीय पशु चिकित्सालय	60	रोग उपचार, रोग निरोधन, कृत्रिम गर्भाधान तथा अपने उप–मण्डल में कार्यरत संस्थानों का निरीक्षण व नियंत्रण।
5	पशु चिकित्सालय	362	रोग उपचार, रोग निरोधन, कृत्रिम गर्भाधान, चारा विकास व विभाग द्वारा संचालित पशुधन विकास के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।
6	केन्द्रीय पशु औषधालय	30	रोग उपचार, रोग निरोधन, कृत्रिम गर्भाधान, चारा विकास व विभाग द्वारा संचालित पशुधन विकास के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।
7	पशु औषधालय	1762	प्राथमिक पशु उपचार, कृत्रिम गर्भाधान, रोग निरोधन, बधियाकरण व पशु चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में अन्य विभागीय कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।
पशु चिकित्सा संस्थानों की कार्य समयावधि			
प्रत्येक कार्य दिवसः राजपत्रित अवकाशों को छोडकर 9:30 पूर्वाहन से 1:30 अपराहन तक तथा 2:00 से 4:00 अपराहन तक। आपातकालीन सेवायें हर समय उपलब्ध होती है।			

खः पशु प्रजनन कार्यक्रम			
क्रम संख्या	संस्थान का नाम	संख्या	संक्षिप्त कार्य का विवरण
1	स्पर्म स्टेशन पालमपुर व अडुवाल (सोलन) (आई0 एस0 ओ0 प्रमाणित)	2	उच्च गुणवत्ता के सांडों के वीर्य तृणों का गुणत्ता नियन्त्रयुक्त उत्पादन तथा तृणों एवं तरल नत्रजन की नियमित आपूर्ति विभिन्न पशु संस्थानों में सुनिश्चित करना।
2	वीर्य कोष चम्बा, सोलन (अडुवाल) ज्योरी, घणाहटी,पालमपुर,मण्डी तथा (ताल) हमीरपुर	7	ये संस्थान तरल नत्रजन व वीर्य तृणों की आपूर्ति विभिन्न पशु संस्थानों में सुनिश्चित करते हैं।
3	गोजातीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र पालमपुर व बागथन	2	प्रजनन कार्य हेतु वीर्य विधायन प्रयोगशालाओं को उत्तम सांडों

			की आपूर्ति करना, जर्सी व होलस्टीन गायों की प्रदेश की जलवायु के अनुरूप उत्पादन क्षमता का अध्ययन करना तथा पशुपालकों को उन्नत डेयरी पालन का प्रशिक्षण व प्रदर्शन प्रदान करना।
ग:	*रोग अन्वेषण सेवाएं*		
1	रोगव्यापिकीविद प्रयोगशाला शिमला	1	विभिन्न रोगों का सर्वेक्षण करना, मुंह खुर रोगों के नमूनों की जांच करना।
2	रोग अन्वेषण प्रयोगशाला शिमला व मण्डी	2	ये प्रयोगशालायें प्रदेश में पशु रोगों के निदान का कार्य आधुनिकतम तकनीकों द्वारा प्रदान कर रही है।
घ:	*भेड़ व खरगोश पालन*		
1	*भेड प्रजनन प्रक्षेत्र/मेंढा केन्द्र* ज्योरी (शिमला), काकस्थल (किन्नौर), ताल (हमीरपुर), नगवाईं (मण्डी) व सरोल (चम्बा),	5	मुख्य उददेश्य उत्तम विदेशी नस्ल के मेंढों की प्रजनन हेतु आपूर्ति भेड़ पालकों को करना।
2	भेड व ऊन विस्तार केन्द्र	9	दूर दराज़ क्षेत्रों में भेड पालकों को प्रजनन हेतु उत्तम नस्ल के मेंढे उपलब्ध करवाना।
3	खरगोश प्रजनन प्रक्षेत्र नगवाईं (मण्डी) व कंढवाड़ी (पालमपुर)	2	मुख्य उद्देश्य उत्तम अंगोरा नस्ल के खरगोशों का प्रजनन, खरगोश पालकों को प्रशिक्षण तथा उपलब्धता अनुसार उन्हें अंगोरा खरगोशों की आपूर्ति करना।
4	ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला ज्योरी (शिमला), ताल (हमीरपुर), चम्बा	3	इन प्रयोशालाओं में ऊन की गुणवत्ता के विश्लेषण हेतु सुविधा उपलब्ध है।
ड0:	*कुक्कुट पालन*		

1	कुक्कुट हैचरियां सुन्दरनगर (मण्डी) व नाहन (सिरमौर) तथा सरोल (चम्बा),	3	इन संस्थानों में उच्चकोटि के ब्रायलर एवं एग्गर के पेरेंट स्टाक के अण्डों को हैच कर कुक्कुट पालकों को एक से तीन सप्ताह के चूजों की आपूर्ति की जाती है तथा कुक्कुट पालकों को कुक्कुट सम्बन्धी व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है।
2	कुक्कुट प्रक्षेत्र/कुक्कुट विस्तार केन्द्र कमलाही (शिमला), जलग्रां (ऊना), पालमपुर (कांगडा),भवारना (कांगडा), पीओ, टापरी (किन्नौर), चौंतडा, मण्डी (मण्डी) , पांवटा (सिरमौर), सोलन व सरोल (चम्बा)	11	इन संस्थानों में उच्च नस्ल के चूजों, ब्रायलर एवं एग्गर का पालन व वितरण किया जाता है।
चः	*घोडा प्रजनन एवं याक प्रजन्न प्रक्षेत्र* लरी (स्पिति)	1	चामूर्थी नस्ल के घोडों तथा याकों का प्रजनन एवं संरक्षण करना।
छ	*प्रशिक्षण केन्द्र* चम्बा व बिलासपुर	2	इन केन्द्रों में पशुपालकों एवं विभागीय फार्मासिस्टों के लिए नवीनतम जानकारी व प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।

विभागीय शुल्क दरें:

पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दी जा रही विभिन्न सुविधाओं के लिए सरकार द्वारा निर्धारित वर्तमान दरें निम्नलिखित हैं:–

1. पर्ची शुल्कः
   कः पशु 1 रू. प्रति पशु
   खः कुक्कुट 1रू. प्रति 10 पक्षी
   उसके उपरांत 5 पैसे प्रति पक्षी

2. बधियाकरण शुल्कः
   सांड – 2 रू. प्रति
   बकरा / मेंढा –1रू. प्रति
   घोड़ा – 10 रू. प्रति
   कुत्ता – 5 रू. प्रति

3. कृत्रिम गर्भाधान दरें:
   जर्सी/होलस्टेन फ्रीजियन – 45 रू. प्रति गाय
   साहीवाल/रैड सिंधी – 30 रू. प्रति गाय
   संकर नस्ल – 40 रू. प्रति गाय
   भैंस – 45 रू. प्रति भैंस
   भ्रूण प्रत्यारोपण से पैदा सांड के तृण– 50रू. प्रति गाय

आयातित वीर्य तृणों द्वारा– 180रू. प्रति गाय

4. आगमन शुल्कः ;केवल पशु औषधियोजकों/ पशुपालन सहायकों / पशु औषधियोजकों के लिए)

पशुपालकों के घर–द्वार पर उपचार एवं कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध करवाने पर सरकार द्वारा निम्न आगमन शुल्क की दरें पशु औषधियोजकों/पशुपालन सहायकों के लिए निर्धारित की गई हैः–

पशु चिकित्सा संस्थान से दूरी	पशुऔषधियोजक	पशुपालन सहायक व मुख्य पशु औषधियोजक
(i) 3 कि0मी0 तक	30 रू.	35 रू.
(ii) 3 कि0मी0 से अधिक	35 रू.	40 रू.

टिप्पणीः– पशु चिकित्सा अधिकारियों को पशुपालकों द्वारा आगमन शुल्क देय नहीं है, क्योंकि उनको प्रैक्टिस निषेध भत्ता ;एन0पी0ए0 सरकार द्वारा दिया जाता है।

5. रोग–निरोधक टीकाकरण शुल्क

क्रम संख्या	रोग निरोधक टीके का नाम	शुल्क
1	मुंह व खुर	निःशुल्क
2	ए0आर0वी0 कुतों के बचाव के लिए	पूरी कीमत पर
3	गलघोटू	निःशुल्क
4	लंगडा बुखार	निःशुल्क
5	पी0पी0आर0 रोग	निःशुल्क

टिप्पणीः– पशुओं को पागल कुत्ते के काटने पर उपचार हेतु ए0आर0वी0 टीकाकरण निःशुल्क किया जाता है।

शिकायत सूचना प्रबन्धकीय प्रणाली (एम0 आई0 एस0)

पशु पालन विभाग की सेवायें पूर्णरूप से नाागरिकों की अपेक्षा के अनुरूप हो सकें तथा सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं् गुणवता में वृद्वि लाने हेतु नागरिकों का सहयोग अपेक्षित है। इस हेतु पशु पालक अपने सुझावों/शिकायतों के लिए विभिन्न जिला अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते है।

शिकायत निवारण हेतु प्रमुख अधिकारियों के पते व दूरभाष नम्बर

क्रम संख्या	प्द	पता	दूरभाष न0	ई0मेल
1	उप निदेशक,प़शु स्वास्थ्य व प्रजनन जिला बिलासपुर	बिलासपुर	01978–222594	Ddah-bil-hp @nic.in
2	उप निदेशक,प़शु स्वास्थ्य व प्रजनन जिला चम्बा	चम्बा	01899–222317	Ddahb-cha-hp@nic.in
3	उप निदेशक,प़शु स्वास्थ्य व प्रजनन जिला हमीरपुर	हमीरपुर	01972–222476	ddah-ham-hp @nic.in

4	उप निदेशक,पशु स्वास्थ्य व प्रजनन जिला कांगडा	स्थित धर्मशाला	01892–222061	ddahb-kan-hp@.nic.in
6	उप निदेशक,पशु स्वास्थ्य व प्रजनन जिला किन्नौर	रिकांगपिओ	01786–222570	ddah-kin-hp@nic.in
7	उप निदेशक,पशु निदेशक,पशु स्वास्थ्य व प्रजनन जिला कुल्लु	कुल्लु	01902–222553	ddah-kul-hp@nic.in
8	उप निदेशक,पशु निदेशक,पशु स्वास्थ्य व प्रजनन जिला लाहोल स्पिति	केलांग	01900–222249	ddah-lah-hp@nic.in
9	उप निदेशक,पशु निदेशक, पशु स्वास्थ्य व प्रजनन जिला मण्डी	मण्डी	01905–223077	Ddah-an-hp@nic.in
10	उप निदेशक,पशु निदेशक, पशु स्वास्थ्य व प्रजनन जिला शिमला	पशुधन भवन, बालुगंज, शिमला–5	0177–2832156	ddah-sml-hp@nic.in
11	उप निदेशक,पशु स्वास्थ्य व प्रजनन जिला सिरमौर	नाहन	01702–222303	Vetysmr-hp@nic.in
12	उप निदेशक,पशु स्वास्थ्य व प्रजनन जिला सोलन	सोलन	01792–223593	ddofficesolan@gmail.com
13	उप निदेशक,पशु स्वास्थ्य व प्रजनन जिला ऊना	ऊना	01975–226017	ddahb-una-hp@nic.in
14	सहायक निदेशक, भेड़ विकास	भरमौर	01895–225048	Adsd-bharmour@gov.in
15	सहायक निदेशक,पशु स्वास्थ्य / प्रजनन	पांगी	01897–242226	
16	उप निदेशक, (पशुउत्पादन)	पालमपुर	01894–231529	
17	सहायक निदेशक, (सी0पी0)	पालमपुर	01894–230467	
18	सहायक निदेशक,पशु स्वास्थ्य / प्रजनन	काजा	01906–222272	

यदि शिकायत का निवारण जिला स्तर पर न हो तो निम्नलिखित उच्च मण्डलीय स्तर पर शिकायत कर सकते है।

	मण्डलीय स्तर पर	सम्बन्धित वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी
1	मण्डल–1 संयुक्त निदेशक (पशु पालन) पालमपुर	जिला कांगडा, हमीरपुर, चम्बा, ऊना दूरभाष 01894–230529
2	मण्डल –2 संयुक्त निदेशक, (एस0एल0बी0पी0), निदेशालय,पशु पालन विभाग शिमला	शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर दूरभाष 0177–2830163

3	मण्डल –3 संयुक्त निदेशक (भेड व ऊन)	मण्डी, कुल्लू, केलांग(लाहौल व स्पिति), बिलासपुर दूरभाष 0177–2830163

यदि शिकायत का निवारण मण्डल स्तर पर भी न हो तो उच्चतम स्तर पर शिकायत कर सकते है।

निदेशक,पशु पालन विभाग,हि0प्र0
दूरभाष 0177–2830089

शिकायत इस पते पर भी कर सकते है&http://admis.hp.nic.in/esamadhan

पशु पालन हैल्पलाइन :– निदेशालय स्तर पर स्थापित पशु पालन हैल्पलाइन 1800–180–8006 (टोल फ्री) नम्बर पर भी पशु पालक अपनी समस्याओं एवं शिकायतों का समाधान कर सकते हैं।

विभिन्न स्तरों पर शिकायतों के निवारण हेतू निर्धारित अवधि इस प्रकार है :–

कार्यालय स्तर	शिकायत का प्रकार	शिकायत निवारण के लिए अधिकतम समय
प्रत्येक जिले में कार्यरत उप निदेशक,पशु स्वास्थ्य प्रजनन और पांगी भरमौर व काजा में कार्यरत सहायक निदेशक	1 दवाइयों की कमी 2 उपकरणों की कमी 3 बिमारियों की रोकथाम व नियन्त्रण उपाय 4 बिमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण 5 स्टाफ की अनुपस्थिति बारे 6 बीमार पशुओं के इलाज बारे 7 जिले में कृत्रिम गर्भाधान पदार्थो की अनोप्लब्धता बारे 8 स्टाफ द्वारा अनुचित इलाज करने बारे 9 रिपीट ब्रिडीग समस्या बारे 10 मृत्यु एवं शव परीक्षण प्रमाण पत्र प्रदान न करने बारे 11 बीमा देय राशि सहायता न करना 12 स्टाफ द्वारा की जा रही अनियमितताओं बारे 13 रिक्त स्थान पर स्टाफ उपलब्ध करवाने हेतु 14 कैम्पो के आयोजन बारे 15 चारा,बीज,जडे,पौधों को उपलब्ध करवाने हेतु 16 जंहा कृत्रिम गर्भाधान सुविधा उपलब्ध नहीं वंहा प्रजनन हेतु सांड एवं मेंडे	एक सप्ताह एक माह दो दिन एक माह दो सप्ताह दो सप्ताह एक सप्ताह दो दिन एक माह एक सप्ताह एक माह एक माह एक माह एक माह

	उपलबध करवाने बारे 17 कर्मचारियों की शिकायतें	एक माह एक माह
संयुक्त निदेशक	1 जिला स्तर पर उपरोक्त शिकायतों पर कार्यवाही न करने बारे 2 महामारी के नियन्त्रण बारे शिकायतें 3 मण्डल में विभिन्न बिमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण बारे 4 मण्डल में कैम्पो के आयोजन हेतु टीमों का गठन करने बारे 5 खाली पड़े पदों पर स्थानीय प्रबन्ध करने हेतु	दो सप्ताह दो दिन एक माह एक माह एक माह
निदेशक	1 शिकायतें जिनकी सुनवाई जिला व मण्डल स्तर पर नहीं हुई 2 स्टाफ की रिक्तियों बारे 3 फरनीचर,उपकरण,दवाईयों बारे 4 स्टाफ के कारण उत्पन हुई समस्त शिकायतें 5 स्टाफ की व्यथा	दो सप्ताह एक माह एक माह एक माह एक माह

Statement-I

Draft Annual State Development Budget 2022-23

Head of Development/Scheme wise Proposed Outlay for Annual State Development Budget

(RS. IN LAKH

D. No.	MajorSub-Major/Minor/Sub-Minor Cpde	Name of Scheme	Annual State Development budget (2022-23) Proposed outlay
1	2	**3**	8
GENERAL DEVELOPMENT PROGRAMME(GDP)			
14	**2403-00-101**	**Veterinay Services and Animal Health**	**8.56**
14	2403-00-101-07-S10N	Control of Foot and Mouth Diseases	0.00
14	2403-00-101-10-S10N	Assistance to State for control of Animal Disease.	7.26
14	2403-00-101-12-S10N	**Brucellosis Control Programme**	0.00
14	2403-00-101-13-S10N	Peste Des Petits Ruminants Control Programme	1.30
14	**2403-00-102**	**Cattle and Buffalo Development**	**301.44**
14	2403-00-102-18-SOON	Cattle Feed Subsidy to BPL families.	280.44
14	2403-00-102-14-SOON	Registration of Cattle.	0.00
14	2403-00-102-15-SOON	Exp. on Animal Welfare Board.	20.00
	2403-00-102-16-S10N	National Programme on Bovine Breeding	1.00
14	**2403-00-103**	**Poultry Development,**	**329.00**
14	2403-00-103-09-SOON	Him Kukkut Palan Yojna)	329.00
14	**2403-00-104**	**Sheep and Wool Development.**	**48.00**
14	2403-00-104-9-SOON	Subsidized Rams to Sheep Breeders	7.00
14	2403-00-104-10-SOON	Krishak Bakri Palan Yojna	40.00
14	2403-00-104-11-S10N	Integrated Wool Dev. Programme	1.00
14	**2403-00-106**	**Other Livestock Development.**	**101.00**

14	2403-00-106-8-SOON	Promotion of Gaushalas	1.00
14	2403-00-106-10-SOON	Promotion of Sheep and Goat rearing	100.00
14	**2403-00-109**	**Extension and Trainning**	**18.00**
14	2403-00-109-02-S50N	GIA to Veterinary Council.	13.00
14	2403-00-109-03-SOON	GIA to Para Veterinary Council.	5.00
14	**2403-00-113**	**Administration investigation and Statistics.**	**85.00**
14	2403-00-113-01-S50N	Statistical Unit.	85.00
14	**2403-00-800**	**Other expenditure**	**103.00**
14	2403-00-106-11-S10N	Rashtriya Krishi Vikas Yojna (RKVY)	0.00
14	2403-00-106-12-S05N	National Livestock Mission	1.00
14	2403-00-106-12-S10N	National Livestock Mission	1.00
14	2403-00-106-12-S25N	National Livestock Mission	1.00
14	2403-00-106-21-SOON	Uttam Pashu Purskar Yojna	100.00
14	**4403-00-101**	**Capital Outlay on Animal Husbandry.**	**987.00**
14	4403-00-101-01-S10N	Establishment & Strengthening of existing Veterinary Hospital & Dispensaries (ESVHD)	0.01
14	4403-00-101-01-SOON	Buildings	986.99
GRAND TOTAL DEMAND NO.-14			**1981.00**
ASPIRATIONAL BLOCKS DEVELOPMENT PROGRAMME (ABDP)			
15	**4403-00-101**	**Capital Outlay on Animal Husbandry.**	**55.00**
15	4403-00-101-01-SOOB	Buildings	55.00
			55.00
TRIBAL AREA DEVELOPMENT PROGRAMME (TADP)			
31	2403-00-796-21-SOON	Cattle Feed subsidy to BPL families	57.00
31	2403-00-796-22-SOON	Him Kukkut Palan Yojna)	45.00
31	2403-00-796-23-SOON	Krishak Bakri Palan Yojna	9.00
31	2403-00-796-24-SOON	Subsidized Rams to Sheep Breeders	1.00

31	2403-00-796-10-S10N	Rashtriya Krishi Vikas Yojna (RKVY).	0.00
31	2403-00-796-12-S10N	Assistance to States for Control of Animal Disesase (ASCAD)	1.00
31	2403-00-796-16-S10N	Peste-des-Petits Ruminants Control Programme (PPR-CP)	1.00
31	2403-00-796-17-S05N	National Livestock Mission	1.00
	2403-00-796-20-S50N	Grant in aid to Veterinary Council	2.00
31	2403-00-796-15-S10N	Foot and Mouth Disease Control Programme	0.00
31	2403-00-796-07-SOON	GIA to Woolfed	50.00
31	2403-00-796-05-SOON	Expenditure on Vety. Programme	93.00
31	4403-00-796-01-SOON-	Building Programme.	135.00
	GRAND TOTAL DEMAND NO.31		**395.00**

SCHEDULED CASTE DEVELOPMENT PROGRAMME(SCDP)

32	2403-00-789-24-SOON	Cattle Feed subsidy to BPL families	210.26
32	2403-00-789--25-SOON	Him Kukkut Palan Yojna	126.00
32	2403-00-789-26-SOON	Krishak Bakri Palan Yojna	100.00
32	2403-00-789-27-SOON	Subsidized Rams to Sheep Breeders	5.00
32	2403-00-789-10-SOON	Registration of Cattle	0.00
32	2403-00-789-11-S10N	Assistance to States for Control of Animal Disesases	2.74
32	2403-00-789-14-S50N	GIA to Veterinary Council	5.00
32	2403-00-789-15-S50N	Livestock Census	0.00
32	2403-00-789-16-S10N	Peste-des-Petits Ruminants Control Programme (PPR-CP)	1.00
32	2403-00-789-17-S10N	Brucellosis Control Programme (BCP)	0.00
32	2403-00-789-19-SOON	Animal Welfare Board	20.00
32	2403-00-789-20-S05N	National Livestock Mission	1.00

32	2403-00-789-20-S10N	National Livestock Mission	1.00
32	2403-00-789-20-S30N	National Livestock Mission	1.00
32	2403-00-789-22-S10N	Foot and Mouth Disease Control Programme	0.00
32	2403-00-789-09-S10N	Rashtriya Krishi Vikas Yojna (RKVY)	0.00
32	4403-00-789-02-SOON	Building (Veterinary Services & Animal Health).	378.00
	GRAND TOTAL DEMAND NO. 32		**851.00**
GRAND TOTAL 2403-ANIMAL HUSBANDRY			**3282.00**

2404-DAIRY DEVELOPMENT

14	2404-00-191-02-SOON	GIA to H.P. Milkfedreration.	1807.00
14	2404-00-109-02-SOON	Subsidy under Dairy Udyami Vikas Yojna	1.00
14	2404-00-191-05-SOON	Freight Subsidy to Milk Cooperatives	90.00
14	2404-00-191-06-SOON	GIA to Agriculture Produce Market Committee (APMC)	100.00
		Total	**1998.00**
32	**2404-00-789-01-SOON**	**GIA to H.P. Milkfedreation.**	730.00
32	**2404-00-789-03-SOON**	Subsidy under Dairy Udyami Vikas Yojna	1.00
32	**2404-00-789-04-SOON**	Freight Subsidy to Milk Cooperatives	40.00
		Total	**771.00**
31	**2404-00-796-02-SOON**	**GIA to H. P. Milkfederation.**	261.00
31	**2404-00-796-03-SOON**	Subsidy under Dairy Udyami Vikas Yojna	1.00
31	**2404-00-796-04-SOON**	Freight Subsidy to Milk Cooperatives	20.00
Total			**282.00**
GRAND TOTAL 2404-DAIRY DEVELOPMENT			**3051.00**

अनुमोदित

Chander Kumar

Agriculture & A.H. Minister
Himachal Pradesh